



राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

2024-25

वार्षिक
रिपोर्ट

कवर फोटो- जी.एस भारद्वाज



राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण
बी-1 विंग, सातवीं मंजिल, पं. दीनदयाल
अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
नई दिल्ली, 110003



ntca.gov.in



[ntca_india](https://twitter.com/ntca_india)



राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के
अधीन एक वैधानिक निकाय

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25



श्री भूपेंद्र यादव

माननीय केंद्रीय मंत्री
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार
और अध्यक्ष, एनटीसीए



श्री कीर्ति वर्धन सिंह

माननीय राज्य मंत्री
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत सरकार
और एनटीसीए के उपाध्यक्ष

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना	1
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन	3
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की बैठकें	7
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित समितियाँ	11
प्रशासनिक मामले	15
वित्त एवं लेखा	29
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक योजना	33
वैधानिक अनुपालन	37
अनुलग्नक	43



અધ્યાય 1 પરિચય



राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) का एक वैधानिक निकाय है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (2006 में संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार स्थापित, एनटीसीए देश में व्याघ्र संरक्षण प्रयासों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संगठन उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त जनादेश के अंतर्गत कार्य करता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य व्याघ्रों और उनके आवासों के संरक्षण के उपायों को सुदृढ़ और लागू करना है।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के दायरे में अपने जनादेश का निर्वहन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर में व्याघ्र संरक्षण प्रयासों को मजबूत करना है। इसमें व्याघ्रों की स्थिति, चल रही संरक्षण परियोजनाओं और विशेष रूप से गठित समितियों की सिफारिशों के व्यापक आकलन के आधार पर तैयार किए गए परामर्श और मानक दिशानिर्देशों के माध्यम से निगरानी बनाए रखना शामिल है।

अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन एवं व्याघ्र परियोजना) दिशानिर्देश, 2012 के अनुसार, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) देश के 18 राज्यों में फैले 58 व्याघ्र आरक्षों और उनके वन क्षेत्रों को 'व्याघ्र परियोजना' पहल के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 'व्याघ्र परियोजना' केंद्र प्रायोजित वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास योजना का एक घटक है, जो व्याघ्रों के प्राकृतिक संरक्षण के लिए समर्पित है। इस योजना ने लुप्तप्राय व्याघ्रों को विलुप्त होने के कगार से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसा कि उन्नत पद्धति का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन (एआईटीई) के हालिया निष्कर्षों से स्पष्ट है।

भारत में व्याघ्रों की एक व्यवहार्य आबादी को वैज्ञानिक, आर्थिक, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए बनाए रखने और जैविक महत्व के क्षेत्रों को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हमेशा के लिए संरक्षित करने के व्याघ्र परियोजना के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए):

- व्याघ्र परियोजना को वैधानिक अधिकार प्रदान करता है ताकि इसके निर्देशों का अनुपालन विधिक हो सके।
- राज्यों, आरक्ष प्रबंधन और एनटीसीए के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का प्रावधान करके, हमारे संघीय ढांचे के भीतर व्याघ्र आरक्षों के प्रबंधन में केंद्र और राज्यों की जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
- संसद द्वारा निगरानी का प्रावधान करता है।
- व्याघ्र आरक्षों के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के आजीविका हितों का ध्यान रखता है।



અધ્યાય 2

રાષ્ટ્રીય વ્યાઘ્ર સંરક્ષણ પ્રાધિકરણ કાગઠન



राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की स्थापना 4 सितंबर, 2006 को व्याघ्र संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। इसके प्रमुख कार्यों में व्याघ्र आरक्षों के प्रबंधन के लिए मानक स्थापित करना, आरक्ष-विशिष्ट व्याघ्र संरक्षण योजनाएँ तैयार करना, संसद को वार्षिक और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, व्याघ्रों, सह-परभक्षियों, भक्ष्य और पर्यावासों के अनुसंधान और निगरानी का समन्वय करना, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों और व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशनों का गठन सुनिश्चित करना शामिल है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान एनटीसीए सदस्यों की संरचना, जैसा कि राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से आधिकारिक रूप से सूचित किया गया है, अनुलग्नक I में देखी जा सकती है, जो इस प्रकार है:

क्रम सं	पदनाम एवं पता	पदनाम
1	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
2	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3	श्री हरीश चंद्र मीना, लोकसभा सांसद	सदस्य
4	श्री राजीव प्रताप रूडी, लोकसभा सांसद	सदस्य
5	श्री सुशील कुमार मोदी – राज्यसभा सांसद (1 अप्रैल 2024 से 13 मई 2024 तक)	सदस्य
6	श्री एस.एस. श्रीवास्तव, ओडिशा के पूर्व पीसीसीएफ एवं हेड ऑफ फारेस्ट फोर्स	विशेषज्ञ सदस्य
7	"श्री राहुल भटनागर, पूर्व क्षेत्र निदेशक रणथंभौर टाइगर रिजर्व, उदयपुर, राजस्थान"	विशेषज्ञ सदस्य
8	"श्री रवि सिंह, महासचिव, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली"	विशेषज्ञ सदस्य
9	"डॉ. रूप नारायण मांडवे, एम.बी.बी.एस., डी.सी.पी कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, जबलपुर, मध्य प्रदेश"	विशेषज्ञ सदस्य
10	"डॉ. प्रदीप के. मलिक, पूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर, डब्ल्यूआईआई, देहरादून, उत्तराखंड"	विशेषज्ञ सदस्य
11	श्री डब्ल्यू. लोंगवाह, पूर्व आईजीएफ (एनटीसीए), क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, बशिष्ठचारियाली, गुवाहाटी, असम	विशेषज्ञ सदस्य
12	डॉ. एच.एस. नेगी, पूर्व एपीसीसीएफ (वन्यजीव), मध्य प्रदेश	विशेषज्ञ सदस्य
13	डॉ. मधु वर्मा, मुख्य अर्थशास्त्री, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	विशेषज्ञ सदस्य
14	"सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय"	सदस्य
15	"वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय"	सदस्य



16	“सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय”	सदस्य
17	“सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय”	सदस्य
18	“अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग”	सदस्य
19	“अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग”	सदस्य
20	“सचिव, पंचायती राज मंत्रालय”	सदस्य
21	“निदेशक, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय”	सदस्य
22	“मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान”	सदस्य
23	“मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, ओडिशा”	सदस्य
24	“मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, तमिलनाडु”	सदस्य
25	“मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखंड”	सदस्य
26	“मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मिजोरम”	सदस्य
27	“मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, छत्तीसगढ़”	सदस्य
28	“संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता, विधि एवं न्याय मंत्रालय”	सदस्य
29	“अपर वन महानिदेशक” (प्रोजेक्ट टाइगर), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य



एनटीसीए के कार्य

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 380 (2006 में संशोधित) के तहत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अधिकार और कार्य निम्नलिखित हैं:

क) अधिनियम की धारा 38V की उपधारा (3) के तहत राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजना को मंजूरी देना।

ख) सतत पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन और आकलन करना तथा व्याघ्र आरक्षों के भीतर खनन, उद्योग और अन्य परियोजनाओं जैसे किसी भी पारिस्थितिक रूप से अस्थिर भूमि उपयोग को प्रतिबंधित करना।

ग) व्याघ्र आरक्षों के बफर और कोर क्षेत्र में व्याघ्र संरक्षण के लिए समय-समय पर पर्यटन गतिविधियों के लिए मानक निर्धारित करना और व्याघ्र परियोजना के लिए दिशानिर्देश जारी करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।

घ) कार्य योजना संहिता में मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्षों के समाधान के लिए प्रबंधन संबंधी दृष्टिकोण और उपाय प्रदान करना तथा राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों या व्याघ्र आरक्षों के बाहर के वन क्षेत्रों में सह-अस्तित्व पर जोर देना।

ङ) संरक्षण उपायों पर जानकारी प्रदान करना, जिसमें भविष्य की संरक्षण योजना, व्याघ्रों और उनके प्राकृतिक भक्ष्य प्रजातियों की संख्या का अनुमान, आवासों की स्थिति, रोग निगरानी, मृत्यु दर सर्वेक्षण इत्यादि शामिल हैं। गश्त लगाना, अप्रिय घटनाओं की रिपोर्ट करना और प्रबंधन के अन्य पहलुओं का प्रबंधन करना, जिनमें भविष्य की संरक्षण योजनाएँ भी शामिल हैं, जिन्हें यह उचित समझो।

च) व्याघ्रों, सह-परभक्षियों, भक्ष्य के पर्यावास, संबंधित पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक मापदंडों पर अनुसंधान और निगरानी का अनुमोदन और समन्वय करना तथा उनका मूल्यांकन करना।

छ) यह सुनिश्चित करना कि व्याघ्र आरक्षों और एक संरक्षित क्षेत्र या व्याघ्र आरक्ष को दूसरे संरक्षित क्षेत्र या व्याघ्र आरक्ष से जोड़ने वाले क्षेत्रों का उपयोग पारिस्थितिक रूप से अस्थिर कार्यों के लिए न किया जाए, सिवाय जनहित में और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन तथा व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर।

ज) अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार पारिस्थितिक विकास और जनभागीदारी के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण पहलों के लिए राज्य में व्याघ्र आरक्ष प्रबंधन को सुगम बनाना और समर्थन देना तथा केंद्र और राज्य कानूनों के अनुरूप आस-पास के क्षेत्रों में इसी प्रकार की पहलों का समर्थन करना।

झ) व्याघ्र संरक्षण योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी और कानूनी सहायता सहित महत्वपूर्ण सहायता सुनिश्चित करना।

ञ) व्याघ्र आरक्षों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए चल रहे क्षमता निर्माण कार्यक्रम को सुगम बनाना, और

ट) व्याघ्रों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के संबंध में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य कार्यों का निष्पादन करना।



अध्याय 3

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की बैठकें

प्राधिकरण की नियमित बैठकों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने अपने दायित्वों के समर्थन हेतु एक तकनीकी समिति और एक प्रशासनिक समिति की स्थापना की है। ये समितियाँ देश भर में व्याघ्र-प्रधान क्षेत्रों में संरक्षण प्रयासों को आगे बढ़ाने और परिष्कृत करने के लिए समय-समय पर बैठकें करती हैं। इनकी गतिविधियों में प्रत्यक्ष जमीनी हस्तक्षेप के साथ-साथ क्षमता निर्माण और जागरूकता अभियान भी शामिल हैं।

2024-25 की अवधि के दौरान निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं:

प्राधिकरण की बैठकें

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 25वीं बैठक 29 जुलाई, 2024 को दिल्ली में माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) श्री भूपेंद्र यादव और माननीय राज्य मंत्री, एमओईएफसीसी श्री कीर्ति वर्धन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में व्याघ्र संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व पर बल दिया गया। इसका विवरण अनुलग्नक II में देखा जा सकता है।



एनटीसीए की 26वीं बैठक 21 दिसंबर 2024 को देहरादून स्थित आईएनजीएफए में माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) श्री भूपेंद्र यादव और माननीय राज्य मंत्री, एमओईएफसीसी श्री कीर्ति वर्धन सिंह की उपस्थिति में आयोजित की गई। चर्चा में भारत के द्वितीय व्याघ्र संरक्षण मॉडल पर बल दिया गया, साथ ही व्याघ्र अभयारण्यों के विस्तार के माध्यम से इसे और मजबूत बनाने और आदिवासी समुदायों और वनवासियों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। एनटीसीए और डब्ल्यूआईआई की संयुक्त पहल, प्रोजेक्ट चीता के तहत एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत में चीता की मेटा-जनसंख्या प्रबंधन के लिए **कूनो-गांधी** सागर परिदृश्य का एटलस जारी किया गया, जो खुले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के बड़े क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की दिशा में हुई प्रगति को दर्शाता है, जिसे अनुलग्नक III में देखा जा सकता है।



तकनीकी समिति की बैठकें

एनटीसीए की तकनीकी समिति की कुल छह बैठकें 2024-25 की अवधि के दौरान आयोजित की गईं। प्रत्येक बैठक के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णयों का विवरण अनुलग्नक (iv) से (ix) में दिया गया है-

क्रम सं	दिनांक	संदर्भ	सारांश रिकॉर्ड
1	29.04.2024	सातवीं तकनीकी समिति	अनुलग्नक-IV
2	03.07.2024	आठवीं तकनीकी समिति	अनुलग्नक-V
3	20.09.2024	नौवीं तकनीकी समिति	अनुलग्नक-VI
4	03.10.2024	दसवीं तकनीकी समिति	अनुलग्नक-VII
5	14.11.2024	ग्यारहवीं तकनीकी समिति	अनुलग्नक-VIII
6	24.02.2025	बारहवीं तकनीकी समिति	अनुलग्नक-IX

प्रशासनिक समिति की बैठकें

2024-25 की अवधि के दौरान, एनटीसीए की प्रशासनिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।





અધ્યાય 4

રાષ્ટ્રીય વ્યાઘ્ર સંરક્ષણ પ્રાધિકરણ દ્વારા ગઠિત સમિતિયાં



वित्तीय वर्ष 2024-25 में, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु निम्नलिखित टीमों और समितियों का गठन किया-

1. इस प्राधिकरण की पांचवीं तकनीकी समिति के निर्णयानुसार, ओडिशा में मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। (अनुलग्नक X)

क्रम सं	सदस्य	पदनाम
1	सुश्री भानुमति जी. डीआइजी एनटीसीए मुख्यालय	अध्यक्ष
2	सीजेडए के प्रतिनिधि	सदस्य
3	सीडब्ल्यूडब्ल्यू ओडिशा के प्रतिनिधि	सदस्य

2. छठी तकनीकी समिति के निर्णय के अनुपालन में ओडिशा के सतकोसिया व्याघ्र आरक्ष में व्याघ्रों के पुनः स्थापन के प्रयासों को पुनः आरम्भ करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक टीम का गठन किया गया था। (अनुलग्नक XI)

क्रम सं	सदस्य	पदनाम
1	डॉ. शैलेश प्रसाद, पीसीसीएफ (रिटायर्ड) यूपी	अध्यक्ष
2	श्री हेमन्त सिंह, एआईजी, एनटीसीए मुख्यालय	सदस्य
3	डॉ बिभाष पांडव, वैज्ञानिक जी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	सदस्य

3. 2019 में गुजरात के महिसागर जिले में व्याघ्रों की उपस्थिति और उसके बाद हुई मृत्यु की रिपोर्ट के मद्देनजर एक त्वरित सर्वेक्षण दल का गठन किया गया था। एनटीसीए ने कई परामर्श जारी किए, तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी प्राप्त की और निगरानी तथा अंतर-राज्यीय समन्वय को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। श्री हेमन्त सिंह, डॉ. विष्णुप्रिया और डॉ. उज्ज्वल कुमार की इस टीम को गुजरात में व्याघ्रों के संभावित आवासों का आकलन करने का कार्य सौंपा गया था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्षेत्र में व्याघ्रों के ऐतिहासिक वितरण के संदर्भ में पर्यावास की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना था। (अनुसूची XII)

क्रम सं	सदस्य	पदनाम
1	श्री हेमन्त सिंह, एआईजी, एनटीसीए मुख्यालय	अध्यक्ष
2	डॉ. विष्णुप्रिया कोलिपकम, वैज्ञानिक- डी, डब्ल्यूआईआई	सदस्य
3	डॉ. उज्ज्वल कुमार, अनुसंधान वैज्ञानिक, एनटीसीए टाइगर सेल, डब्ल्यूआईआई	सदस्य

4. एनटीसीए द्वारा सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत आयोजित तीन मायगाँव गतिविधियों - चीता के लिए स्वागत गीत, पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता और चीता प्रश्नोत्तरी - के विजेताओं का चयन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। (अनुलग्नक X।।।)

क्रम सं	सदस्य	पदनाम
1	सुश्री भानुमति जी., डीआईजी, एनटीसीए मुख्यालय	अध्यक्ष
2	राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के निदेशक या प्रतिनिधि	सदस्य
3	एनवीस केंद्र, एमओईएफसीसी के प्रतिनिधि	सदस्य

5. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया था। आईसीसी को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करने का दायित्व सौंपा गया है। समिति एनटीसीए के भीतर एक सुरक्षित, न्यायसंगत और अनुपालनपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। अनुलग्नक XIV

क्रम सं	सदस्य	पदनाम
1	सुश्री भानुमति जी., डीआईजी, एनटीसीए मुख्यालय	अध्यक्ष
2	मो. साजिद सुल्तान, एआईजीएफ, एनटीसीए मुख्यालय	सदस्य
3	सुश्री सुवीना ठाकुर, एआईजीएफ, एमओईएफसीसी	सदस्य
4	सुश्री इंका गोयल, तकनीकी अधिकारी, एनएईबी	सदस्य
5	सुश्री ज्ञानवती, एक्शन इंडिया (एनजीओ)	सदस्य



6. महाराष्ट्र के केंद्रीय चंदा वन प्रभाग में व्याघ्रों के अवैध शिकार के एक मामले की जांच की निगरानी और पर्यवेक्षण करने तथा व्याघ्रों के अंगों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। बहु-एजेंसी एसआईटी को गठजोड़ की जांच करने, प्रवर्तन अधिकारियों को सहयोग देने और व्याघ्रों के सभी क्षेत्रों में अवैध शिकार निरोधी प्रयासों को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया है। अनुलग्नक XV

क्रम सं	सदस्य	पदनाम
1	श्री रुडोल्फ अल्वारेस, आईपीएस, उप निदेशक, डब्ल्यूसीसीबी	प्रभारी
2	श्री हेमन्त सिंह एआईजीएफ, एनटीसीए	सदस्य
3	श्री रितेश सरोठिया, प्रमुख टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्य प्रदेश	सदस्य
4	सुश्री श्वेता बोड्डू, डीसीएफ सेंट्रल चंदा वन प्रभाग, महाराष्ट्र	सदस्य
5	श्री आनंद रेड्डी येलु, उप निदेशक (कोर), ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व	सदस्य



अध्याय 5

प्रशासनिक मामले



राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के कार्यालय में सदस्य सचिव को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए 10 नियमित / 34 संविदात्मक प्रशासनिक कर्मचारी कार्यरत हैं। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के कार्यालय की स्थिति और पदों के नाम (2024-25) इस प्रकार हैं:

क्रम सं	पदनाम	पदाधिकारी का नाम	वेतनमान स्तर/वेतन (रूपये में)
मुख्यालय			
1	सदस्य सचिव	डॉ. जी.एस. भारद्वाज मार्च 2024 से	लेवल-16 (205400-224400)
2	महानिरीक्षक	डॉ. संजयन कुमार जनवरी 2025 से	लेवल-14 (182200-224100)
3	उप महानिरीक्षक	डॉ. वैभव सी. माथुर	लेवल-14 (144200-218200)
4	उप महानिरीक्षक	श्रीमती बानुमाथी जी.	लेवल-13A (123100-215900)
5	सहायक महानिरीक्षक	पद रिक्त	
6	सहायक महानिरीक्षक	मोहम्मद साजिद सुल्तान	लेवल-13 (78800-209200)
7	सहायक महानिरीक्षक	श्री हेमंत सिंह	लेवल-12 (78800-209200)
8	सहायक महानिरीक्षक	डॉ. अभिषेक कुमार	लेवल-12 (78800-209200)
9	उप निदेशक (वित्त)	पद रिक्त	
10	पीएस	पद रिक्त	
11	अनुभाग अधिकारी	पद रिक्त	
12	सहायक	पद रिक्त	
13	स्टाफ कार चालक	पद रिक्त	





5	डीईओ	खुशीराम	₹25,600/-
6	डीईओ	धीरेन्द्र कुमार पांडे	₹25,200/-
7	डीईओ	आरती	₹25,200/-
8	डीईओ	स्वाति	₹23,128/-
9	डीईओ	अंकित कुमार	₹25,200/-
10	डीईओ	अलीशा	₹23,128/-
11	एमटीएस	अभिषेक हांडा	₹18,066/-
12	कार्यालय सहायक	लक्ष्मण सिंह	₹39,096/-
13	कार्यालय सहायक	मुकेश कुमार	₹39,096/-
14	चालक	मोहम्मद अकबर	₹27,400/-
15	चालक	सिया राम	₹27,216/-
16	संदेशवाहक	शिव सिंह	₹28,188/-
17	संदेशवाहक	दीपक सिंह	₹25,920/-
18	सफाईकर्मी	राहुल	₹23,760/-
19	युवा पेशेवर	आंचल भसीन	₹40,000/-
20	एमटीएस	राजू	₹18,893/-
"क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी"			
21	वरिष्ठ परियोजना सहयोगी	अगाथा सी मोमिन	₹49,560/-
22	डेटा एंट्री ऑपरेटर	जीतुमनी महंत	₹23,544/-
23	सुरक्षा गार्ड	माइकल कुमार राभा	₹20,628/-



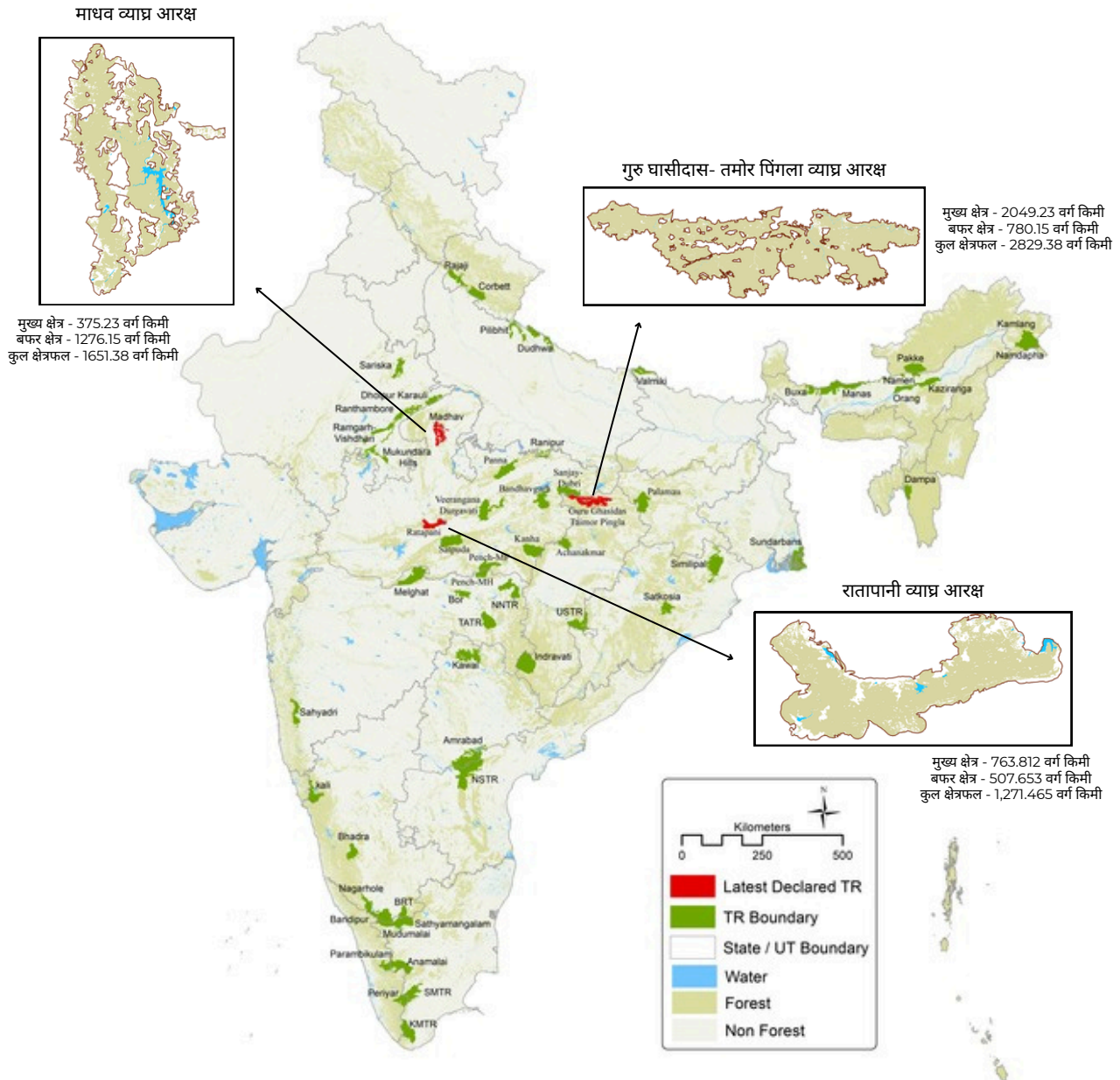
24	एमटीएस	नयन ज्योति राहांग	Rs. 20,628/-
क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर			
25	प्रधान परियोजना सहयोगी	अनिल कुमार दशाहरे	₹57,820/-
26	डेटा एंट्री ऑपरेटर	कृष्णाल आर. नंदनवार	₹24,192/-
27	सुरक्षा गार्ड	प्रफुल्ल बी. बागडे	₹21,000/-
28	एमटीएस	योगेश जी सकार्डे	₹20,196/-
29	सुरक्षा गार्ड	राहुल एन. खडसे	₹22,680/-
क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु			
30	एमटीएस	कुमार एम.के.	₹20,196/-
31	डेटा एंट्री ऑपरेटर	एम.आर. राधा	₹24,192/-
32	सुरक्षा गार्ड	संतोष कुमार बोडके	₹22,680/-
33	एमटीएस	वामशिकृष्ण के	₹20,196/-

वर्ष 2024-25 के दौरान की गई प्रमुख पहलें

भारत सरकार ने राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से व्याघ्रों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहल की हैं।

प्रशासनिक कदम

- कुल मिलाकर, तीन नए व्याघ्र आरक्षों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत अधिसूचित और अनुमोदित किया गया है: छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास-तमोर पिंगला व्याघ्र आरक्ष, मध्य प्रदेश में रातापानी व्याघ्र आरक्ष और मध्य प्रदेश में माधव व्याघ्र आरक्ष। इन आरक्षों के जुड़ने से भारत में व्याघ्र आरक्षों की कुल संख्या बढ़कर 58 हो गई है। इस विस्तार से देश के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को और मजबूती मिली है, जिससे व्याघ्र आरक्षों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.5% हो गया है।





- भारत नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) का सदस्य बन गया, जिससे उसने वैश्विक सहयोग और बिग कैट संरक्षण में नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।



अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- प्रजाति संरक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से चीता परियोजना पर बल देते हुए, **दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के एक प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल 2024 में भारत का दौरा किया।** इस दौरे के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें बाड़ों की स्थिति, नियंत्रण कक्ष की सुविधाएं और नियोजित पशु चिकित्सा अवसंरचना शामिल थी। प्रतिनिधिमंडल ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चल रही संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियों का विस्तृत मूल्यांकन भी किया। इस दौरे ने तकनीकी चर्चाओं और अनुभव साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया और इसने ज्ञान के आदान-प्रदान तथा भारत में चीता संरक्षण प्रयासों की दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों की पारस्परिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया।



- वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने और औपचारिक रूप देने के लिए एनटीसीए में **केन्या सरकार और केन्याई वन्यजीव सेवा के अधिकारियों के साथ 22 मई 2024 को रचनात्मक चर्चाएँ आयोजित की गईं**। इस समन्वय के अंतर्गत, केन्याई प्रतिनिधिमंडल ने महत्वाकांक्षी चीता परियोजना के कार्यान्वयन और प्रगति की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए 22 मई 2024 को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया। इस दौरे से संरक्षण रणनीतियों, पर्यावास प्रबंधन, निगरानी ढाँचों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर विस्तृत चर्चा हुई, जिससे आपसी समझ मजबूत हुई और प्रजाति संरक्षण में सतत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नींव रखी गई।



- भारत के वन महानिदेशक और विशेष सचिव श्री जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक **प्रतिनिधिमंडल ने केन्या सरकार की पर्यटन एवं वन्यजीव मामलों की कैबिनेट सचिव महामहिम रेबेका मियानो से मुलाकात की**। चर्चा का मुख्य विषय वन्यजीव संरक्षण और वन प्रबंधन में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना था, जिसके लिए अनुभवों का आदान-प्रदान, साझा रणनीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार-विमर्श किया गया। इस वार्ता में जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन में सहयोग को और गहरा करने के लिए दोनों देशों की आपसी प्रतिबद्धता पर बल दिया गया।





- जैव विविधता संरक्षण और सतत वन्यजीव प्रबंधन में सहयोग पर समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत, **26 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक नोम पेन्ह में भारतीय और कंबोडियाई अधिकारियों के बीच सार्थक चर्चा हुई।** विचार-विमर्श व्याप्तों और उनके पर्यावासों के लिए पुनर्प्राप्ति रणनीतियों को विकसित करने और मजबूत करने पर केंद्रित था, जिसमें दीर्घकालिक संरक्षण योजना और आवास प्रबंधन पर जोर दिया गया था।



इसी पहल के तहत, एनटीसीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने क्षमता निर्माण प्रयासों में सहयोग देने के लिए कंबोडिया के कार्डमम वर्षावन का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने व्याघ्र संरक्षण, पर्यावास संरक्षण, निगरानी तकनीक और संस्थागत सुदृढ़ीकरण सहित कई विषयगत क्षेत्रों में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया। इन गतिविधियों ने द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ किया और ज्ञान के आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण और सतत वन्यजीव प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाया।



महत्वपूर्ण कार्यक्रम

- मार्च 2025 में, संरक्षण के प्रमुख विषयगत क्षेत्रों पर विचार-विमर्श और मंथन के लिए देश भर के राज्यों के **मुख्य वन्यजीव वार्डन और व्याघ्र आरक्षों के फील्ड निदेशकों की एक बैठक आयोजित की गई।** सत्रों ने सहयोगात्मक और सहभागी वातावरण को बढ़ावा दिया, जिससे व्याघ्र संरक्षण और पर्यावास प्रबंधन में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्दृष्टि, अनुभव और रणनीतियों को साझा करना संभव हुआ।

अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन - विचार-विमर्श के अगले चरण में आगामी राष्ट्रव्यापी व्याघ्र आकलन अभ्यास के चक्र को शुरू करने के लिए तैयारियों और रणनीतिक योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें वैज्ञानिक सटीकता, समन्वय और समय पर कार्यान्वयन पर जोर दिया गया।



व्याघ्र संरक्षण के बदलते आयाम - वन महानिरीक्षक (आईजीएफ) श्री रमेश पांडे ने व्याघ्र संरक्षण के बदलते परिदृश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संरक्षण प्रयासों की सफलता देश भर में कार्यरत फील्ड टीमों के अथक समर्पण और निरंतर प्रयासों पर निर्भर करती है।

सतत सफलता के लिए सहयोग को सुदृढ़ करना - वन महानिदेशक और विशेष सचिव श्री सुशील अवस्थी ने व्याघ्र संरक्षण में भारत की उपलब्धियों के केंद्र में रहे सहयोग की भावना की सराहना की। उन्होंने जमीनी स्तर पर निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए अंतर-एजेंसी और हितधारक सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया और इसमें शामिल सभी लोगों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा की।





भारत में व्याघ्रों की संख्या में हुई वृद्धि एक वैश्विक सफलता की कहानी है – राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के सदस्य सचिव डॉ. जी. एस. भारद्वाज ने भारत में व्याघ्रों की उल्लेखनीय वृद्धि के बारे में बात करते हुए इसे वैश्विक संरक्षण की एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने मानव-वन्यजीव संघर्ष और वन्यजीव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दों के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया और आशा व्यक्त की कि विचार-विमर्श से संरक्षण के लिए एक मजबूत और दूरदर्शी मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिलेगी।

एक महत्वपूर्ण प्रकाशन का विमोचन – आगामी अखिल भारतीय व्याघ्र गणना के छोटे चक्र की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण देने वाली पुस्तिका “व्याघ्रों की गणना” का औपचारिक विमोचन वन महानिदेशक और विशेष सचिव श्री सुशील अवस्थी ने किया। यह प्रकाशन जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन और कार्यप्रणाली में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा।

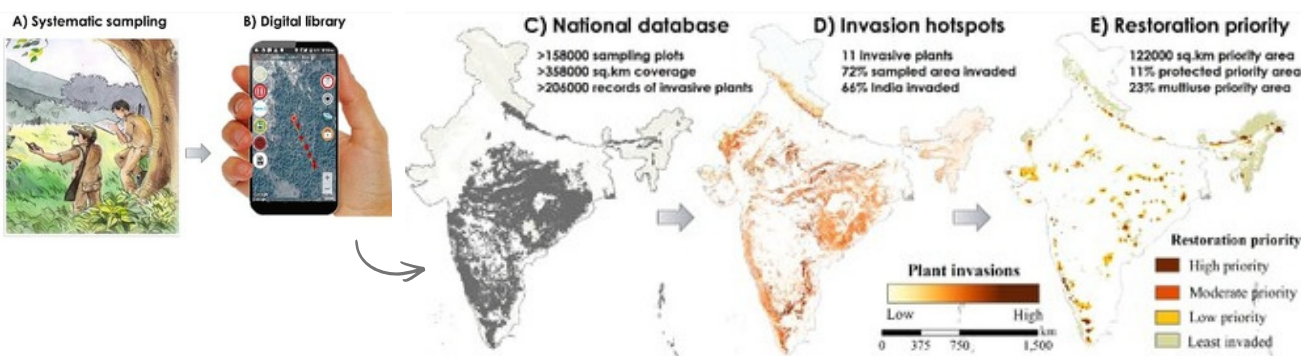


- **वैश्विक व्याघ्र दिवस** के अवसर पर, माननीय मंत्री और अध्यक्ष श्री भूपेंद्र यादव ने **29 जुलाई 2024** को एनटीसीए पुरस्कार उन वन कर्मियों को प्रदान किए, जो अक्सर व्यक्तिगत जोखिम उठाते हुए वन्यजीवों की रक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। ये पुरस्कार दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किए गए, जो वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने और राष्ट्र की प्राकृतिक विरासत की रक्षा में वन अधिकारियों के अनुकरणीय समर्पण, साहस और निस्वार्थ सेवा को मान्यता देते हैं।



व्याघ्र संरक्षण के तत्वावधान में, भारत जैव विविधता संरक्षण के लिए व्याघ्र को एक महत्वपूर्ण और व्यापक प्रजाति मानते हुए, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की व्यवस्थित निगरानी और प्रबंधन करता है। वैश्विक व्याघ्र दिवस के अवसर पर, माननीय मंत्री जी द्वारा आक्रामक पौधों की प्रजातियों के वितरण और प्रसार पर एक समर्पित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

यह पोर्टल व्याघ्र आरक्षों और वन क्षेत्रों में आक्रामक पौधों की प्रजातियों के प्रलेखन और निगरानी को सुगम बनाने के लिए एक वैज्ञानिक निर्णय-सहायता मंच के रूप में विकसित किया गया है। विश्वसनीय स्थानिक और क्षेत्र-आधारित जानकारी प्रदान करके, यह वन प्रबंधकों और नीति निर्माताओं को प्रबंधन हस्तक्षेपों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने, संरक्षण संसाधनों के आवंटन को अनुकूलित करने और पर्यावास पुनर्स्थापन प्रयासों को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा। यह पहल साक्ष्य-आधारित संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और लचीले और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्रों को बनाए रखने में व्याघ्र-केंद्रित संरक्षण रणनीतियों के व्यापक पारिस्थितिक लाभों को उजागर करती है।

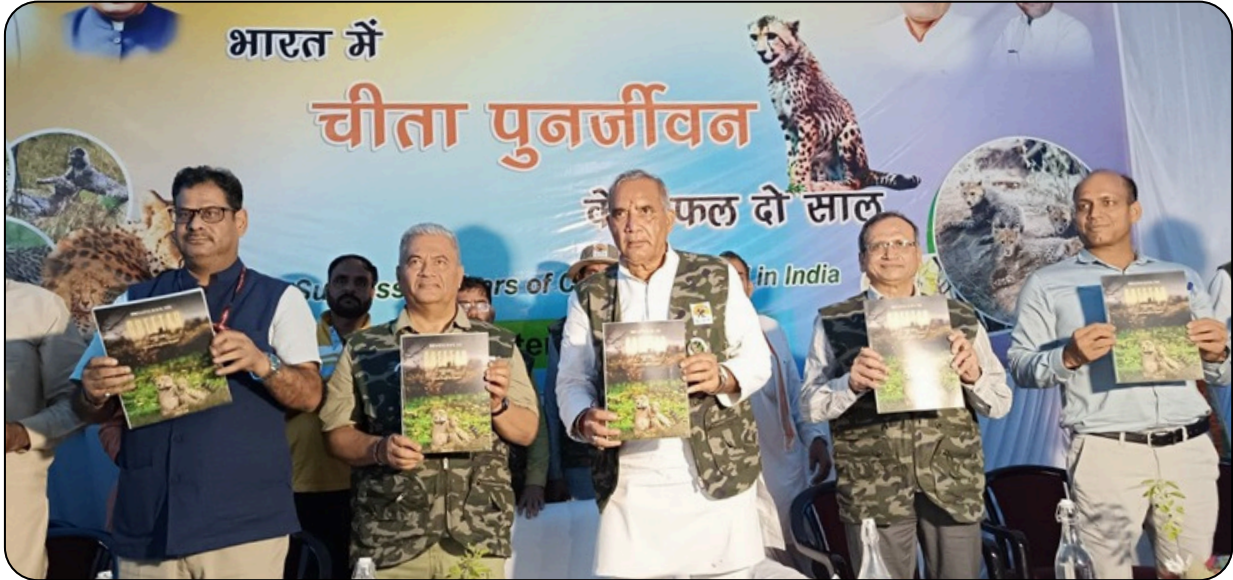


- माननीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने **17 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में "मौन वार्तालाप: हाशिये से केंद्र तक"** शीर्षक से जनजातीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में भारत के जनजातीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, स्थिरता और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया। इसने जनजातीय परंपराओं और प्राकृतिक जगत के बीच गहरे और स्थायी संबंध का सशक्त प्रतिबिंब प्रस्तुत किया। उद्घाटन के दौरान, मंत्री ने जनजातीय कारीगरों की असाधारण शिल्प कौशल और रचनात्मकता की सराहना करते हुए कला के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन और सतत जीवन के मूल्यों को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।



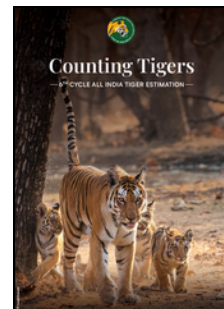


- **भारत में चीता के पुनःस्थापन की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर, 17 सितंबर 2024** को मध्य प्रदेश के माननीय वन मंत्री द्वारा चीता परियोजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट एनटीसीए के सदस्य सचिव और डॉ. एस. पी. यादव की उपस्थिति में जारी की गई। रिपोर्ट में चीता परियोजना के अंतर्गत हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें प्रमुख उपलब्धियों, प्रबंधन उपायों और संरक्षण परिणामों का दस्तावेजीकरण किया गया है। इस रिपोर्ट के जारी होने से भारत में चीता की आबादी को बहाल करने और देश में दीर्घकालिक प्रजाति संरक्षण को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।



2024-2025 में प्रकाशित प्रमुख प्रकाशन

इस दस्तावेज़ में अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन के छठे चक्र के वैज्ञानिक ढांचे और कार्यप्रणाली की रूपरेखा दी गई है, जिसमें व्याघ्रों की आबादी और उनके आवासों का देशव्यापी आकलन करने के लिए भारत की मानकीकृत, चार-चरण वाली दोहरी नमूना पद्धति का विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि व्याघ्रों की संख्या, घनत्व और रुझानों का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण, रिमोट सेंसिंग और कैमरा ट्रैप आधारित स्थानिक कैप्चर-रीकैप्चर मॉडल को किस प्रकार एकीकृत किया जाता है, ताकि संरक्षण और प्रबंधन संबंधी सटीक निर्णय लिए जा सकें।



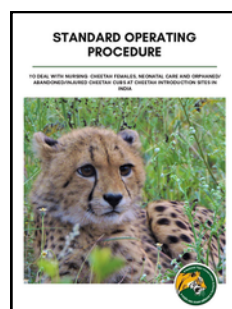
यह रिपोर्ट भारत में चल रही चीता परियोजना की प्रगति का विवरण देती है, जिसमें दशकों तक स्थानीय स्तर पर विलुप्त होने के बाद प्रजाति को पुनर्स्थापित करने के प्रयासों के तहत कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनः स्थापित किए गए चीतों के स्थानांतरण, निगरानी और प्रबंधन का दस्तावेजीकरण किया गया है। यह भारत में चीतों की आत्मनिर्भर आबादी को समर्थन देने के लिए 2023-24 के दौरान आबादी की स्थापना, पारिस्थितिक निगरानी और सहयोगात्मक संरक्षण कार्यों में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है।

इस योजना में गांधीसागर वन्यजीव अभ्यारण्य-कूनो क्षेत्र (लगभग 9000 वर्ग किमी) में चीतों की एक व्यवहार्य आबादी को पुनः स्थापित करने और पुनःस्थापित करने के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य लगभग 60-70 चीतों की एक आत्मनिर्भर आबादी का निर्माण करना है। इसमें चीतों के अनुकूलन और इस क्षेत्र में दीर्घकालिक संरक्षण के लिए स्थल की तैयारी, पारिस्थितिक निगरानी, स्थानांतरण संबंधी व्यवस्था और पर्यावास प्रबंधन का विस्तृत विवरण दिया गया है।



यह एटलस मध्य भारत में कूनो-गांधी सागर परिदृश्य का मानचित्रण और विश्लेषण करता है, जो कि एक व्यवहार्य चीता मेटापॉपुलेशन की स्थापना और प्रबंधन के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है, जिसमें पर्यावास, भक्ष्य और मानव-उपयोग की जानकारी शामिल है।

मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) भारत में आरंभिक पुनर्स्थापना स्थलों पर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली चीता मादाओं की निगरानी और प्रबंधन के साथ-साथ नवजात शिशुओं की देखभाल और अनाथ, परित्यक्त या घायल चीता शावकों के प्रबंधन के लिए विस्तृत क्षेत्र-स्तरीय प्रोटोकॉल प्रदान करती है। यह पशु चिकित्सा देखभाल, पशुपालन प्रथाओं और पुनर्वास चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है ताकि प्रत्येक पशु के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके और मानव प्रभाव को कम किया जा सके, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र रूप से चरने वाली आबादी में उनके सफल एकीकरण को सुनिश्चित करना है।





अध्याय 6 वित्त और लेखा



एनटीसीए को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एनटीसीए द्वारा प्राप्तियों और किए गए भुगतानों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं	प्राप्तियां	राशि (रूपये में)	भुगतान	राशि (रूपये में)
1	अग्रिम राशि	175,000.00	व्यय	45,391,857.14
2	बैंक बैलेंस:	166,030,139.39	परियोजनाओं के लिए राशि	380,902,214.00
	(i) जमा खाता			
	(ii) बचत खाता			
3	भारत सरकार से प्राप्त निधियाँ		प्रशिक्षण पर व्यय	
	(i) एनटीसीए को अनुदान	259,910,817.00	कार्यशाला और सम्मेलन	2,416,512.00
	(ii) कैम्पा	296,350,000.00		
	(iii) स्वच्छ भारत	28,900,000.00		
4	सुरक्षा जमा	-	व्यय:	2,982,021.00
			परिसंपत्तियाँ (स्थिर/सॉफ्टवेयर)	
5	प्राप्त सीएसआर फंड	105,103,404.00	जारी सीएसआर निधि	147,905,634.02
6	प्राप्त ब्याज	4,243,584.00	वित्तीय शुल्क:	
			जमा किया गया ब्याज	4,370,548.00
7	अग्रिम की वसूली	1,041,588.00	वसूली योग्य अग्रिम	543,800.00
8	विविध प्राप्तियां	10,200.00	अन्य भुगतान:	
			प्रेषण (विविध प्राप्तियाँ)	
9	-	-	अग्रिम राशि	175,000.00
	-	-	बैंक शेष:	
			(i) जमा खाता	
			(ii) बचत खाता	277,077,146.23
	कुल	861,764,732.39		861,764,732.39



पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन: एनटीसीए और पीटीई का 2022 से 2025 की अवधि के लिए बजट आवंटन नीचे दिया गया है-

रूपया (लाख में)

शीर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
एनटीसीए	1016.67	1156	2963.5
सीएसएस (पीटी एंड ई)	15800	24000	29000
कुल	16816.67	25156	31963.5

सीएसएस – प्रोजेक्ट टाइगर: 2024-25 के लिए स्वीकृतियों का विवरण: टाइगर रिजर्व के अनुसार, राज्यवार और प्रोजेक्ट टाइगर योजना, एनटीसीए और अन्य निधियों के विस्तृत विवरण (परिशिष्ट VI) में देखे जा सकते हैं। एनटीसीए के वित्तीय वर्ष 2024-25 के खातों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट का विवरण (परिशिष्ट VII) में देखा जा सकता है।





अध्याय 7

एनटीसीए की वार्षिक कार्य योजना



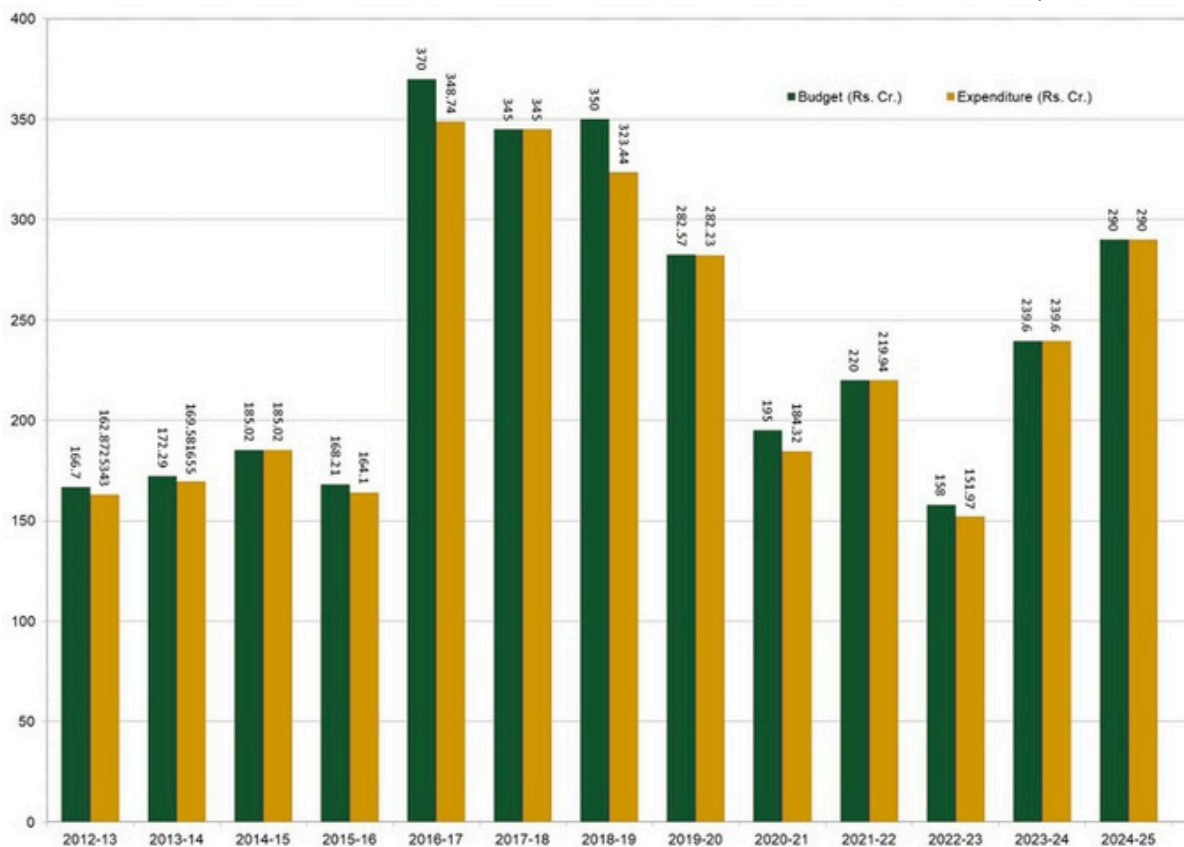
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) व्याघ्र परियोजना योजना का संचालन करता है, जिसे वर्तमान में वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। व्याघ्र परियोजना के तहत, एनटीसीए यह सुनिश्चित करता है कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 ओ(1)(सी) से उत्पन्न राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन और व्याघ्र परियोजना के लिए मानक) दिशानिर्देश, 2012 में उल्लिखित गतिविधियों को पूरी गंभीरता से कार्यान्वित किया जाए। उक्त दिशानिर्देशों में व्याघ्र आरक्षों में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित 17 व्यापक गतिविधियों का निर्धारण किया गया है, जिनमें व्याघ्र-आबादी वाले वनों के लिए प्रावधान शामिल हैं:

- (i) अवैध शिकार विरोधी पहल;
- (ii) व्याघ्र आरक्षों के भीतर बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना;
- (iii) पर्यावास सुधार और जल विकास;
- (iv) मानव-वन्यजीव संघर्षों का समाधान;
- (v) परिदृश्य दृष्टिकोण के साथ बफर और सीमांत क्षेत्रों में सह-अस्तित्व एजेंडा;
- (vi) महत्वपूर्ण व्याघ्र पर्यावासों से गांवों को बेहतर पुनर्वास पैकेज प्रदान करके एक निश्चित समय सीमा के भीतर सुरक्षित क्षेत्रों में स्थानांतरित करना और ऐसे लोगों के अधिकारों के निपटान के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना;
- (vii) व्याघ्र आरक्षों में और उसके आसपास रहने वाली पारंपरिक शिकारी जनजातियों का पुनर्वास;
- (viii) अनुसंधान और क्षेत्र उपकरणों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना;
- (ix) व्याघ्र आरक्षों में कर्मचारियों के विकास और क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना;
- (x) व्याघ्र आरक्षों के बाहर व्याघ्र वाले जंगलों में वन्यजीव संबंधी चिंताओं को मुख्यधारा में लाना और स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए पुनर्स्थापनात्मक रणनीति के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में गलियारा संरक्षण को बढ़ावा देना ताकि आवासों के विखंडन को रोका जा सके;
- (xi) वन्यजीव संरक्षण के लिए व्याघ्र आरक्षों और व्याघ्र वाले जंगलों में और उसके आसपास सुरक्षा उपाय और सुधार करना;
- (xii) केंद्र में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना;
- (xiii) व्याघ्र आरक्षों की स्वतंत्र निगरानी और मूल्यांकन करना;
- (xiv) आठ नए व्याघ्र आरक्षों की स्थापना और विकास करना;
- (xv) व्याघ्र आरक्षों में कार्यरत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता प्रदान करना;
- (XVI) व्याघ्र आरक्षों में तैनात अग्रिम पंक्ति के फील्ड स्टाफ के बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने हेतु आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना;
- ((xvii) स्थानीय लोगों के लाभ के लिए पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करना।



उपरोक्त उपायों को शामिल करते हुए, राज्य व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार करते हैं, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत एक वैधानिक आवश्यकता है। अनुमोदित व्याघ्र संरक्षण योजना के आधार पर, एक वार्षिक परिचालन योजना तैयार की जाती है, जो व्याघ्र परियोजना के तहत वित्तीय सहायता जारी करने का आधार बनती है। वर्षों से, व्याघ्र परियोजना योजना को निम्नलिखित बजटीय सहायता प्राप्त हुई है:

दशकीय बजट (करोड़ रुपये में)

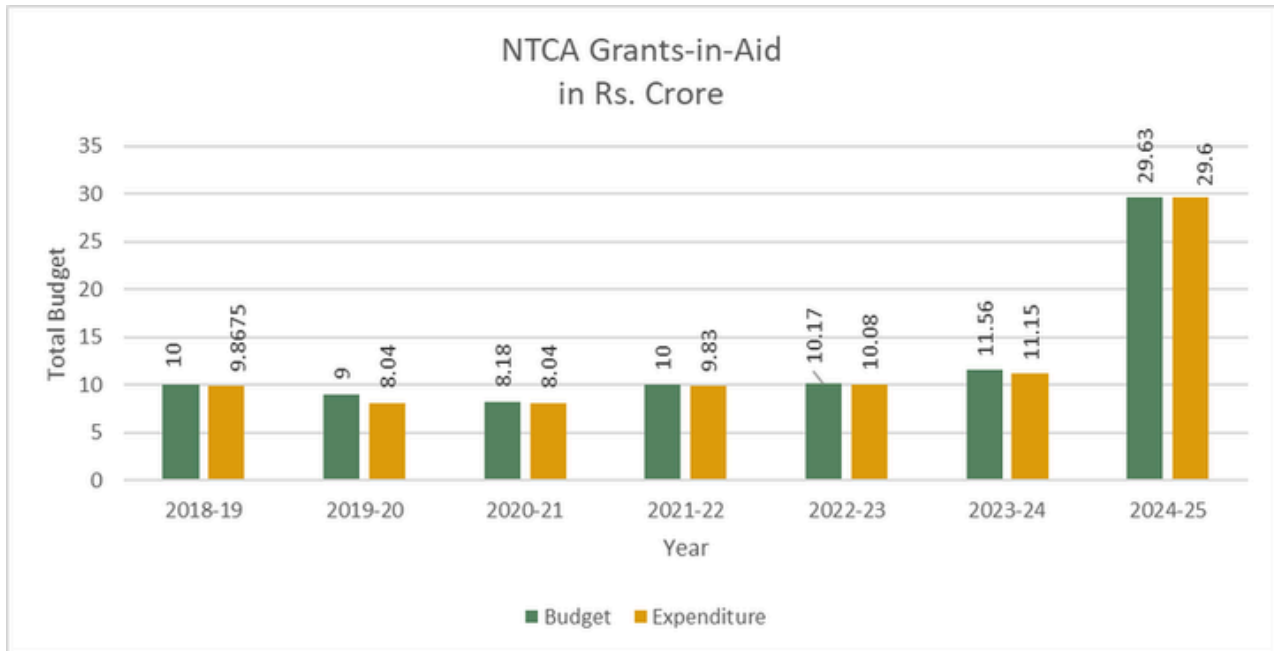


एनटीसीए को अनुदान सहायता के तहत प्राप्त धनराशि का उपयोग प्राधिकरण के निम्नलिखित वैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए किया जाता है:

- मनुष्य और वन्य जीवों के बीच संघर्षों के समाधान हेतु उपाय
- व्याघ्रों और उनके प्राकृतिक भक्ष्य प्रजातियों की जनसंख्या का आकलन, पर्यावासों की स्थिति, रोग निगरानी, मृत्यु दर सर्वेक्षण, गश्त, अप्रिय घटनाओं पर रिपोर्ट और अन्य प्रबंधन संबंधी पहलू जिन्हें प्राधिकरण उचित समझे
- व्याघ्रों, सह-परभक्षियों, भक्ष्य के पर्यावास, संबंधित पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक मापदंडों पर अनुसंधान और निगरानी का अनुमोदन और समन्वय तथा उनका मूल्यांकन
- अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार पर्यावरण विकास और जनभागीदारी के माध्यम से पहल करना, साथ ही जागरूकता और विस्तार गतिविधियाँ चलाना
- व्याघ्र संरक्षण पहलों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी और कानूनी सहायता सहित महत्वपूर्ण सहायता सुनिश्चित करना
- व्याघ्र आरक्षों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए चल रहे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को सुगम बनाना



पिछले कुछ वर्षों में, एनटीसीए अनुदान सहायता के तहत आवंटित बजट की स्थिति इस प्रकार है –





અધ્યાય 8

વૈધાનિક અનુપાલન



व्याघ्र संरक्षण योजनाएँ

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38 ओ (1) (ए) के तहत, एनटीसीए को राज्यों द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है। व्याघ्र संरक्षण योजनाओं (टीसीपी) का विवरण नीचे दिया गया है:

सारांश	
स्वीकृत और मान्य व्याघ्र संरक्षण योजना	25
स्वीकृत परन्तु अवधि पूर्ण व्याघ्र संरक्षण योजना	11
एनटीसीए में समीक्षाधीन	8
सुधार के लिए राज्य को प्रेषित	9
प्रतीक्षित	7
व्याघ्र आरक्षों की कुल संख्या (कॉर्बेट व्याघ्र आरक्ष के अमानगढ़ बफर सहित)	59

संचालन समिति

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38U के तहत, राज्यों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करना अनिवार्य है। सभी व्याघ्र क्षेत्र वाले राज्यों ने संचालन समिति का गठन कर लिया है। इस प्राधिकरण द्वारा राज्यों को समिति की नियमित बैठकों को सुनिश्चित करने के लिए पत्र भेजे जाते हैं।

व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38X के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रत्येक व्याघ्र आरक्ष के लिए एक व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन स्थापित करना अनिवार्य है, ताकि व्याघ्रों और जैव विविधता के संरक्षण हेतु उनके प्रबंधन को सुगम बनाया जा सके और लोगों को विकास प्रक्रिया में शामिल करके पर्यावरण विकास की दिशा में पहल की जा सके। निम्नलिखित व्याघ्र आरक्षों के व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन का गठन अभी लंबित है-

1. राजाजी टाइगर रिजर्व (उत्तराखंड)
2. कमलांग टाइगर रिजर्व (अरुणाचल प्रदेश)
3. श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई टाइगर रिजर्व (तमिलनाडु)
4. वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश)
5. धौलपुरकरौली टाइगर रिजर्व (राजस्थान)
6. रानीपुर टाइगर रिजर्व (उत्तर प्रदेश)
7. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व (राजस्थान)

कोर और बफर की सूचना

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के अंतर्गत, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को किसी क्षेत्र को व्याघ्र आरक्ष घोषित करने की अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें एक मुख्य/क्रांतिक व्याघ्र प्राकृतवास और एक बफर क्षेत्र शामिल होता है। राज्यों द्वारा मुख्य और बफर क्षेत्र की अधिसूचना की स्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं	टाइगर रिजर्व (टीआर)	पीए अधिसूचना वर्ष	राज्य	कोर क्षेत्र (वर्ग किमी)र	बफर क्षेत्र (वर्ग किमी)र	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
1	बांदीपुर	1973-74	कर्नाटक	872.24	584.06	1456.3
2	कॉर्बेट	1973-74	उत्तराखंड	821.99	466.32	1288.31
	अमानगढ़ बफर	—	उत्तर प्रदेश	—	80.6	80.6
3	कान्हा	1973-74	मध्य प्रदेश	917.43	1,134.36	2,051.79
4	मानस	1973-74	असम	526.22	2,310.88	2,837.10
5	मेलघाट	1973-74	महाराष्ट्र	1,500.49	1,268.03	2,768.52
6	पलामू	1973-74	झारखंड	414.08	715.85	1,129.93
7	रणथंभौर	1973-74	राजस्थान	1,113.36	297.92	1,411.29
8	सिमलीपाल	1973-74	ओडिशा	1,194.75	1,555.25	2,750.00
9	सुंदरबन	1973-74	पश्चिम बंगाल	1,699.62	885.27	2,584.89
10	पेरियार	1978-79	केरल	881	44	925
11	सरिस्का	1978-79	राजस्थान	881.11	332.23	1,213.34
12	बक्सा	1982-83	पश्चिम बंगाल	390.58	367.32	757.9
13	इंद्रावती	1982-83	छत्तीसगढ़	1,258.37	1,540.70	2,799.07
14	नमदाफा	1982-83	अरुणाचल प्रदेश	1,807.82	245	2,052.82
15	नागार्जुनसागर सागर	1982-83	आंध्र प्रदेश	2,595.72	700.59	3,296.31



क्रम सं	टाइगर रिजर्व (टीआर)	पीए अधिसूचना वर्ष	राज्य	कोर क्षेत्र (वर्ग किमी)र	बफर क्षेत्र (वर्ग किमी)र	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
16	दुधवा	1987-88	उत्तर प्रदेश	1,093.79	1,107.98	2,201.77
17	कलाकड़ मुंडनथुराई	1988-89	तमिलनाडु	895	706.54	1,601.54
18	वाल्मिकी	1989-90	बिहार	598.45	300.93	899.38
19	पेंच	1992-93	मध्य प्रदेश	411.33	768.3	1,179.63
20	तडोभा अंधारी	1993-94	महाराष्ट्र	625.82	1,101.77	1,727.59
21	बांधवगढ़	1993-94	मध्य प्रदेश	716.9	820.03	1,536.93
22	पन्ना	1993-94	मध्य प्रदेश	576.13	1,021.97	1,598.10
23	डम्पा	1994-95	मिजोरम	500	488	988
24	भद्र	1998-99	कर्नाटक	492.46	571.83	1,064.29
25	पेंच - एमएच	1998-99	महाराष्ट्र	257.26	483.96	741.22
26	पक्के	1999-20	अरुणाचल प्रदेश	683.45	515	1,198.45
27	नामेरी	1999-20	असम	320	144	464
28	सतपुड़ा	1999-20	मध्य प्रदेश	1,339.26	794.04	2,133.31
29	अनामलाई	—	तमिलनाडु	958.59	521.28	1,479.87
30	उदंती सीतानदी	—	छत्तीसगढ़	851.09	991.45	1,842.54
31	सतकोशिया	—	ओडिशा	523.61	440.26	963.87
32	काजीरंगा	1974	असम	625.58	548	1,173.58

41



क्रम सं	टाइगर रिजर्व (टीआर)	पीए अधिसूचना वर्ष	राज्य	कोर क्षेत्र (वर्ग किमी)र	बफर क्षेत्र (वर्ग किमी)र	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
50	कमलांग	—	अरुणाचल प्रदेश	671	112	783
51	श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई	—	तमिलनाडु	641.86	374.7	1016.57
52	रामगढ़ विषधारी	—	राजस्थान	481.9073	1019.9848	1501.8921
53	रानीपुर	—	उत्तर प्रदेश	230.31	299.0512	529.3612
54	वीरांगना दुर्गावती	—	मध्य प्रदेश	1414.006	925.12	2339.12
55	धौलपुर-करौली	—	राजस्थान	599.6406	458.24	599.6406
56	गुरु घासीदास - तमोर पिंगला	—	छत्तीसगढ़	2049.232	780.155	2829.387
57	रातापानी	—	मध्य प्रदेश	763.812	507.653	1271.465
58	माधव	—	मध्य प्रदेश	375.233	1276.154	1651.387
			कुल	46,701.29 वर्ग किमी	38,244.78 वर्ग किमी	84,946.07 वर्ग किमी



अध्याय 9

अनुलग्नक

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक I- एनटीसीए राजपत्र अधिसूचना में सदस्यों की नियुक्ति	45
अनुलग्नक II और III- एनटीसीए की बैठकों के मासिक कार्यालय ज्ञापन	50
अनुलग्नक IV- समिति गठन आदेश	63
अनुलग्नक V- व्याघ्र आरक्षों की सूची	88
अनुलग्नक VI- व्याघ्रों की मृत्यु दर	92
अनुलग्नक VII- सीएसएस-प्रोजेक्ट टाइगर: 2024-25 के लिए स्वीकृतियों का विवरण (व्याघ्र आरक्ष स्वीकृतियों का विवरण)	94
अनुलग्नक VIII- सीएसएस-प्रोजेक्ट टाइगर: 2024-25 के लिए स्वीकृतियों का विवरण (राज्यवार स्वीकृतियों का विवरण)	97
अनुलग्नक IX- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यय योजना	99
अनुलग्नक X- वित्तीय विवरणों का प्रारूप (गैर-लाभकारी संगठन)	101
अनुलग्नक XI- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनटीसीए के खातों पर अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मसौदा	122

रजिस्ट्री नं. सी.एल.-33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092023-248825
CG-DL-E-19092023-248825

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3935]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 2023/भाद्र 28, 1945

No. 3935]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 2023/BHADRA 28, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2023

का.आ. 4100(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ड की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ 1403 (अ) तारीख 4 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) विद्यमान क्रम सं. 6 से 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात्:—

6	श्री एस.एम. श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रमुख वन संरक्षक एवं प्रमुख वन बल, ओडिशा	सदस्य
7	श्री राहुल भटनागर, सेवानिवृत्त क्षेत्र निदेशक, रणबन्धोर व्याघ्र आरक्ष, उदयपुर, राजस्थान	सदस्य
8	श्री रवि मिश्र, सेक्रेटरी जनरल, विश्व प्रकृति निधि - भारत, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
9	डॉ. रूप नारायण माण्डविके, एम.बी.बी.एस., डी.सी.पी., सलाहकार रोगविज्ञानी, जबलपुर, मध्य प्रदेश	सदस्य
10	डॉ. प्रदीप क. मलिक, सेवानिवृत्त जरिष्ठ प्रोफेसर - भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून उत्तराखण्ड	सदस्य

5934 GI/2023

(1)

11	डी डब्ल्यू. लीवबाह, मेबानिबुल वन महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, नुवाहटी, बर्गिटा बैरीली, नुवाहटी, असम	सदस्य
12	डॉ. एच.एम. नेगी, मेबानिबुल, अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (बन्धुव्यापी) मध्य प्रदेश	सदस्य
13	डॉ. मधु वर्मा, मेबानिबुल मेकाव सदस्य, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	सदस्य

(ii) क्र.सं. 22 से 27 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

22	मुख्य बन्धुवी प्रतियालक, राजस्थान	सदस्य
23	मुख्य बन्धुवी प्रतियालक, ओडिशा	सदस्य
24	मुख्य बन्धुवी प्रतियालक, तमिल नाडु	सदस्य
25	मुख्य बन्धुवी प्रतियालक, उत्तराखण्ड	सदस्य
26	मुख्य बन्धुवी प्रतियालक, मिजोरम	सदस्य
27	मुख्य बन्धुवी प्रतियालक, छत्तीसगढ़	सदस्य

[क्र. सं. 15-30/2011-रा.व्या.सं.प्रा.]

डॉ. एस.पी.सादव, अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना)

टिप्पणी: राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण गठित करने वाली मूल अधिमूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में क्रमांक का.अ. 1403 (अ), तारीख 4 सितम्बर, 2006 और अंतिम बार संशोधित, अधिमूचना संख्या का.सं. 5254 (अ), दिनांक 4 नवम्बर, 2022

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2023

S.O. 4100(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38L of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints the following members to the National Tiger Conservation Authority for a period of three years, from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest number S.O. 1403(E), dated the 4th September, 2006, namely:—

In the said notification, —

(i) for serial numbers 6 to 13 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:—

6.	Shri S.S. Srivastava, Former Principal Chief Conservator of Forests & Head of Forest Force, Odisha	- Member
7.	Shri Rahul Bhatnagar, Former Field Director Ranthambore Tiger reserve, Udaipur, Rajasthan	- Member
8.	Shri Ravi Singh, Secretary General, World Wide Fund for Nature - India, Lodhi Estate, New Delhi	- Member
9.	Dr. Roop Narayan Mandwe, M.B.B.S., D.C.P. Consultant Pathologist, Jabalpur, Madhya Pradesh	- Member
10.	Dr. Pradeep K. Malik, Former Senior Professor - Wildlife Institute of India, Dehradun, Uttarakhand	- Member
11.	Shri W. Longvah, Former Inspector General of Forests, National Tiger Conservation Authority, Regional Office, Guwahati, Bishishta Chariali, Guwahati, Assam	- Member
12.	Dr. H.S. Negi, Former Additional Principal Chief Conservator of Forest (Wildlife), Madhya Pradesh	- Member
13.	Dr. Madhu Verma, Former Faculty Member, Indian Institute of Forest Management, Bhopal	- Member

(ii) for serial numbers 22 to 27 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

22.	Chief Wildlife Warden, Rajasthan	- Member
23.	Chief Wildlife Warden, Odisha	- Member
24.	Chief Wildlife Warden, Tamil Nadu	- Member
25.	Chief Wildlife Warden, Uttarakhand	- Member
26.	Chief Wildlife Warden, Mizoram	- Member
27.	Chief Wildlife Warden, Chhattisgarh	- Member

[F. No. 15-30/2011-NTCA]

Dr. S.P. YADAV, Addl. Director General of Forests (Project Tiger & Elephant)

Note : The principal notification constituting the National Tiger Conservation Authority was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1403 (E), dated the 4th September, 2006 and last amended, vide, notification number 5254(E), dated the 4th November, 2022.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257551
CG-DL-E-27092024-257551

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3875]
No. 3875]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2024/आश्विन 4, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2024/ASVINA 4, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2024

का.आ. 4233(अ).—केंद्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, आधिकारिक राजपत्र संख्या एस.जी. 1403 (अ), दिनांक 4 सितंबर, 2006, अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन और करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 3 और 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित संशोधित संख्याएँ और प्रविष्टियाँ रखी जाएँ, अर्थात् :—

3 श्री हरीश चंद्र मीना,
संसद सदस्य (लोक सभा)

सदस्य

यह दिनांक 18.09.2026 तक या उनके लोक सभा के सदस्य रहने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे।

4 श्री राजीव प्रताप सूड,
संसद सदस्य (लोक सभा)

सदस्य

यह दिनांक 18.09.2026 तक या उनके लोक सभा के सदस्य रहने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे।

[फा. सं. 15-G/2022-रा.व्या.स.प्रा.]

डॉ. जी.एस. भारद्वाज, अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना)

6275 GI/2024

(1)

vii.k प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में क्रमांक का आ. 1403 (अ), दिनांक 4 सितंबर, 2006 और अंतिम बार संशोधित, अधिसूचना संख्या का आ. 232 (अ), दिनांक 14 नवंबर, 2022

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2024

S.O. 4233(E)—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38L of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, published in the Official Gazette *vide* number S.O. 1403(E), dated the 4th September, 2006, namely :—

In the said notification, for serial numbers 3 and 4, and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely :—

- | | | | |
|----|----------------------------------|---|--|
| 3. | Shri Harish Chandra Meena. | - | Member |
| | Member of Parliament (Lok Sabha) | | (He shall hold office till 18.09.2026 or till he ceases to be a Member of Lok Sabha, whichever is earlier). |
| 4. | Shri Rajiv Pratap Rudy. | - | Member |
| | Member of Parliament (Lok Sabha) | | (He shall hold office till 18.09.2026 or till he ceases to be a Member of Lok Sabha, whichever is earlier)". |

[F. No. 15-6/2022-NTCA]

Dr. G. S. BHARDWAJ, Addl. Dir. Gen. of Forests (Project Tiger)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1403 (E), dated the 4th September, 2006 and last amended, *vide*, notification number S.O. 5254 (E), dated the 14th November, 2022.

फ़ाइल संख्या: 15-5/2024-एनटीसीए
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक: ई-हस्ताक्षर के अनुसार

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 29 जुलाई, 2024 को आयोजित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 25वीं बैठक के सारांश रिकॉर्ड के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री/अध्यक्ष, एनटीसीए द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 25वीं बैठक के सारांश रिकॉर्ड की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश दिया गया है, जो 29 जुलाई, 2024 को महानदी सम्मेलन कक्ष, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसे कृपया अवलोकन और रिकॉर्ड हेतु स्वीकार करें।

हस्ताक्षरित: वैभव चंद्र माथुर

दिनांक: 29-08-2024

(डॉ. वैभव सी. माथुर)

उप महानिरीक्षक (एनटीसीए)

ईमेल: dig1-एनटीसीए@nic.in

दूरभाष: +91 11 24367837-39

फैक्स: +91 11 24367836

वितरण:

- एनटीसीए के सभी सदस्य (सूची संलग्न)।

प्रतिलिपि:

- माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मंत्री के निजी सचिव।
- माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य मंत्री के निजी सचिव।
- सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
- महानिदेशक (वन) एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
- अतिरिक्त महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव के निजी सचिव / महानिरीक्षक (वन), एनटीसीए के निजी सहायक

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 25वीं बैठक माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में 29 जुलाई, 2024 को महानदी हॉल, इंदिरा पर्यावरण भवन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 25वीं बैठक उपर्युक्त तिथि एवं स्थान पर आयोजित हुई। प्रतिभागियों की सूची परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

अध्यक्ष महोदय ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और विचार-विमर्श की शुरुआत की।

कार्यसूची के अनुसार विचार-विमर्श का विवरण निम्नलिखित है:

कार्यसूची बिंदु संख्या 1

24वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि तथा सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियाँ
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 24वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

कार्यसूची बिंदु संख्या 2

24वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई
एनटीसीए ने 24वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का संज्ञान लिया।

कार्यसूची बिंदु संख्या 3

एनटीसीए की गतिविधियों पर अद्यतन जानकारी

तकनीकी समिति के निर्णयों का अनुमोदन

(क) 7वीं तकनीकी समिति बैठक – 29 अप्रैल, 2024

(ख) 8वीं तकनीकी समिति बैठक – 3 जुलाई, 2024

NBWL प्रस्तावों पर अद्यतन जानकारी

प्राधिकरण ने उपरोक्त अद्यतन जानकारियों का अनुमोदन किया तथा संज्ञान लिया।

कार्यसूची बिंदु संख्या 4

वर्ष 2023-24 हेतु एनटीसीए के बजट/व्यय अनुसूची की स्वीकृति

एनटीसीए ने वर्ष 2023-24 के लिए बजट/व्यय अनुसूची को स्वीकृति प्रदान की।

एजेंडा आइटम नंबर 5

अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य एजेंडा

1. निदेशक, पंचायती राज मंत्रालय की टिप्पणी

- यह सूचित किया गया कि व्याघ्र आरक्षों (tiger reserves) के बफर क्षेत्रों का प्रबंधन पंचायती राज संस्थानों (PRI) के समन्वय के साथ किया जाना चाहिए।
- उक्त मंत्रालय का क्षमता निर्माण (capacity building) का एक निरंतर कार्यक्रम चल रहा है, जिसे व्याघ्र संरक्षण से संबंधित मामलों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- यह निर्णय लिया गया कि व्याघ्र आरक्षों का विवरण पंचायती राज मंत्रालय को भेजा जाएगा ताकि उन्हें उक्त कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। इसके अलावा, यह भी तय हुआ कि एनटीसीए द्वारा एक महीने के भीतर एक वीडियो के साथ एक ट्रेनिंग कैप्सूल तैयार किया जाएगा और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए पंचायती राज मंत्रालय को भेजा जाएगा।

2. श्री एच. एस. नेगी की टिप्पणी

- सदस्य ने सूचित किया कि देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ व्याघ्रों के रहने के लिए आवश्यक कल्याणकारी कारक उपलब्ध हैं, जिन्हें व्याघ्र आरक्ष के रूप में अधिसूचित करने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अनिनि (Anini) का उदाहरण दिया।
- पर्यटन प्रबंधन के संबंध में, उन्होंने उल्लेख किया कि एनटीसीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्त नियमन के साथ-साथ पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (Eco Sensitive Zone) के माध्यम से इसके नियमन का पालन किया जाना चाहिए।
- संरक्षण के क्षेत्र में नवीनतम विकास को देखते हुए व्याघ्र संरक्षण योजना (Tiger Conservation Plan) के दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता भी उचित है।

3. श्री एस. एस. श्रीवास्तव की टिप्पणी

- सदस्य ने सूचित किया कि तकनीक पर बहुत अधिक निर्भरता बढ़ गई है, जिससे उस फील्डक्राफ्ट (मैदानी कौशल) में कमी आई है जो पहले फ्रंटलाइन स्टाफ के पास हुआ करता था।
- हालांकि, क्षेत्रीय क्षेत्रों (territorial areas), व्याघ्र आरक्षों और संरक्षित क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली मौलिक प्रथाओं में सहायता के लिए तकनीकी सहायता आवश्यक है।
- सदस्य ने वनाग्नि (forest fires) का मुद्दा उठाया, विशेष रूप से व्याघ्र आरक्षों के बाहर के क्षेत्रों में, जहाँ M-STripes जैसे एप्लिकेशन के उपयोग के माध्यम से फ्रंटलाइन स्टाफ की जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि आग के प्रबंधन में वन विभाग के बजाय अन्य विभागों को शामिल करने की प्रवृत्ति से वांछित परिणाम नहीं मिले हैं।

4. श्री राहुल भटनागर की टिप्पणी

- सदस्य ने व्याघ्र आरक्षों में सुविधाओं की बुकिंग के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल (centralized portal) विकसित करने की आवश्यकता के बारे में बताया, जिस पर पिछली बैठक में भी चर्चा हुई थी।
- सदस्य ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी व्याघ्र आरक्ष में गैर स्थानिक अवांछित खर पतवार की आक्रामक प्रजातियों (invasive alien species) के प्रबंधन में किए गए सराहनीय कार्य पर प्रकाश डाला।
- सदस्य ने कहा कि व्याघ्र आरक्षों के मुख्य (core) क्षेत्र के बाहर के पर्यटन को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (Eco Sensitive Zone) के मास्टर प्लान के पर्यटन प्लान में शामिल किया जाना चाहिए।
- कुंभलगढ़ व्याघ्र आरक्ष की अधिसूचना के संबंध में, उन्होंने मुख्य वन्यजीव वार्डन, राजस्थान से जवाब मांगा, जिन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए राज्य द्वारा एक विशेषज्ञ समिति अधिसूचित की गई है।

5. महानिरीक्षक (IGF), एनटीसीए की टिप्पणी

- महानिरीक्षक (IG), एनटीसीए ने सुझाव दिया कि नए व्याघ्र आरक्षों की अधिसूचना का प्रस्ताव देते समय पूरी सावधानी (due diligence) बरती जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के अधिकारों पर संभावित प्रतिबंध के कारण उनमें आक्रोश पैदा होता है।
- इसके अलावा, गैर-संरक्षित क्षेत्रों (Non Protected Area) में व्याघ्र संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि व्याघ्रों की आबादी के 'सिंक' (sinks) को संरक्षित किया जा सके और उन्हें संरक्षित क्षेत्रों (PA) या व्याघ्र आरक्षों (TR) के अंतर्गत लाए बिना पेशेवर रूप से प्रबंधित किया जा सके।

6. श्री रवि सिंह की टिप्पणी

- सदस्य ने सूचित किया कि हर साल फेज-IV (Phase-IV) अभ्यास के दौरान राज्यों द्वारा निगरानी किए जाने वाले व्याघ्रों की संख्या में बड़ा बदलाव (high turnover) देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, व्याघ्रों की मृत्यु दर का रिकॉर्ड भी एनटीसीए के पास उपलब्ध है।
- डेटा के इन सेटों का उपयोग अनिवार्य रूप से उन व्याघ्रों का ट्रैक रखने के लिए किया जाना चाहिए जो अगले चक्र में कैमरों (photocaptured) में नहीं आते हैं।

7. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की टिप्पणी

- सचिव ने एक समर्पित इको-टूरिज्म योजना की आवश्यकता पर बल दिया जो राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित हो।
- दैनिक प्रबंधन गतिविधियों में विज्ञान-आधारित हस्तक्षेपों (science-based interventions) को शामिल करने पर जोर दिया जाना चाहिए।
- सचिव ने पंचायती राज मंत्रालय के कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राम सरपंचों के क्षमता निर्माण (capacity building) के विचार की सराहना की।

8. उपाध्यक्ष, एनटीसीए / माननीय राज्य मंत्री (MoS) की टिप्पणी

- माननीय उपाध्यक्ष ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा पर हो रहे बेतरतीब विकास (haphazard development) के बारे में सदस्यों को सूचित किया, जिसने रामनगर वन प्रभाग तक फैली कोसी नदी के किनारे वन्यजीव गलियारे (animal corridor) को अवरुद्ध कर दिया है।
- राज्यों के साथ चर्चा में इन रिसॉर्ट्स की अनियंत्रित बढ़ोतरी (mushrooming) को नियंत्रित करने के लिए एक नीति-आधारित रणनीति विकसित करने की संभावना तलाशी जानी चाहिए।
- उन्होंने अग्नि नियंत्रण (fire control) में 'फायर लाइन्स' की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाला।
- पर्यावास प्रबंधन (habitat management) के संदर्भ में, उन्होंने रेखांकित किया कि अवांछित खर-पतवार आक्रामक प्रजातियों को हटाने के साथ-साथ उनके स्थान पर उस क्षेत्र में प्रचलित स्वदेशी प्रजातियों (indigenous species) को लगाया जाना चाहिए।

9. अध्यक्ष, एनटीसीए / माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की टिप्पणी

- माननीय अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि तकनीक के अलावा मानव कौशल और स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान (यानी स्थानीय सूझबूझ) को भी एकत्र करने की आवश्यकता है। अधिकतम परिणामों के लिए तकनीकी हस्तक्षेप और पारंपरिक ज्ञान के मिश्रण पर काम किया जाना चाहिए।
- इसके बजाय स्वदेशी तकनीक की खोज करने और व्याघ्र संरक्षण के लाभ के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने श्मशान घाटों और ईंट भट्टों में लैंटाना ब्रिकेट्स (Lantana briquettes) के उपयोग का उदाहरण दिया, जिसका उपयोग पर्यावास प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के स्थानीय कौशल को प्रोत्साहित करके तकनीकी समाधान विकसित करने में उनकी भागीदारी तलाशी जानी चाहिए।
- व्याघ्र आरक्ष प्रबंधन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हितधारकों, विशेष रूप से बफर और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वालों की संवेदनशीलता समय-समय पर बढ़ाई जाए। स्थानीय आजीविका पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- माननीय अध्यक्ष ने कहा कि बफर और सीमावर्ती क्षेत्रों में बेतरतीब विकास को रोकने के लिए, कानून में निहित प्रासंगिक अनुमतियों और प्रावधानों को दोहराया जाना चाहिए और सभी संबंधितों को सूचित किया जाना चाहिए।
- सबसे अधिक भ्रमण किये जाने वाले व्याघ्र आरक्षों में पर्यटन की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी स्थिति खराब (degrade) न हो।
- माननीय अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि सचिव (EF&CC) देश भर में अग्नि सुरक्षा रणनीतियों की समीक्षा करें।
- माननीय अध्यक्ष ने 29 जुलाई, 2024 को होने वाले फील्ड डायरेक्टर्स सम्मेलन के दौरान चर्चा के लिए निर्धारित विषयगत क्षेत्रों पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने नीति और क्षेत्रीय कार्यान्वयन (field implementation) के बीच के अंतर को पाटने के लिए अभिनव तंत्र पर चर्चा करने की आवश्यकता है पर बल दिया।

विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन:

- फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ़ फिफ्टी इयर्स ऑफ़ प्रोजेक्ट टाइगर
- डिकोलोनाइसिंग इंडियाज़ बायोडायवर्सिटी: रिस्टोरिंग इंडीजिनस इकोसिस्टम्स फ्रॉम एलियन इन्वेसस

पत्राचार संख्या: 15-8/2024-एनटीसीए

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)

दिनांक: ई-हस्ताक्षर के अनुसार

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 21 दिसंबर, 2024 को आयोजित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 26वीं बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण - संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री / अध्यक्ष, एनटीसीए द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 26वीं बैठक के संक्षिप्त विवरण की एक प्रति इसके साथ संलग्न करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। यह बैठक 21 दिसंबर, 2024 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA), देहरादून में आयोजित की गई थी, जो आपके अवलोकन और रिकॉर्ड हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षरित)

डॉ. वैभव सी. माथुर

उप महानिरीक्षक (एनटीसीए)

ईमेल: dig1-एनटीसीए@nic.in

दूरभाष: +91 11 24367837-39

फैक्स: +91 11 24367836

वितरण:

1. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि:

- माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के निजी सचिव।
- माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के निजी सचिव।
- सचिव (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
- महानिदेशक (वन) एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
- अपर महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) के निजी सचिव / महानिरीक्षक (वन्यजीव), एनटीसीए के निजी सहायक।
- डेटा विश्लेषक (एनटीसीए), नई दिल्ली को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की 26वीं बैठक का कार्यवृत्त

अध्यक्षता: माननीय श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

दिनांक: 21 दिसंबर, 2024 | स्थान: प्लेटिनम जुबली हॉल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA), देहरादून

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 26वीं बैठक 21 दिसंबर, 2024 को श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-1 में दी गई है।

अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और चर्चा की शुरुआत की। ADG (PT) एवं MS (एनटीसीए) ने लोकसभा के नवनियुक्त सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन जारी किया गया:

- चीता लैंडस्केप इन इंडिया २०२४: एटलस ऑफ़ कुनो-गांधीसागर लैंडस्केप फॉर मेटा-पापुलेशन मैनेजमेंट ऑफ़ चीता इन इंडिया

निम्नवत है:

मद संख्या 1: 25वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि और सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियाँ

- 25वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2: 25वीं बैठक के निर्णयों पर की गई कार्रवाई

- प्राधिकरण ने 25वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का संज्ञान लिया।

मद संख्या 3: एनटीसीए की गतिविधियों पर अपडेट

1. तकनीकी समिति के निर्णयों का अनुसमर्थन :

- 9वीं (20 सितंबर),
- 10वीं (3 अक्टूबर) और
- 11वीं (14 नवंबर, 2024)।

2. NBWL प्रस्तावों पर अपडेट

प्राधिकरण ने अपडेट्स का संज्ञान लिया।

कार्यसूची मद सं. 4

वर्ष 2023-24 के लिए एनटीसीए की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

एनटीसीए ने वर्ष 2023-24 के लिए एनटीसीए की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी।

कार्यसूची मद सं. 5

अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य कार्यसूची

व्याघ्र आरक्षों से ग्राम पुनर्वास की प्रक्रिया:

सदस्य सचिव, एनटीसीए ने निम्नलिखित जानकारी दी:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 V (5) निर्धारित करती है:
- कि ग्राम पुनर्वास पूरी तरह से एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है।
- कि ग्राम पुनर्वास शुरू करने से पहले ग्राम सभाओं और लोगों की सूचित सहमति प्राप्त की जाती है।
- कि 2012 से एक प्रोत्साहन आधारित पुनर्वास पैकेज उपलब्ध कराया गया है, जिसे 2021 में संशोधित किया गया था।
- उपरोक्त प्रावधानों को सभी हितधारकों के लाभ के लिए समय-समय पर एनटीसीए के दिशा-निर्देशों के माध्यम से प्रसारित किया गया है।

प्राधिकरण ने इसे दोहराने का निर्णय लिया।

सदस्यों से इनपुट:

1. श्री हरीश चंद्र मीणा, माननीय सांसद लोकसभा

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में हाल के मानव-व्याघ्र संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए, माननीय सदस्य ने संघर्ष की स्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए फील्ड निदेशक के पास आकस्मिक निधि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सूचित किया कि पर्यटन संघ व्याघ्र संरक्षण के कार्य में योगदान देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि इस योगदान के उपयोग के निर्णय में उनकी हिस्सेदारी हो। इसके अलावा, वन, पुलिस और प्रशासन के बीच पर्याप्त समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि वन विभाग एकमात्र हितधारक नहीं है। उन्होंने टाइगर रिजर्व में फ्रंटलाइन स्टाफ की रिक्तियों पर जोर दिया, जिन्हें बॉर्डर होमगार्ड जैसे अस्थायी आकस्मिक श्रमिकों को तैनात करने के कामचलाऊ उपायों के बजाय स्थाई रूप से भरने की आवश्यकता है।

2. श्री राजीव प्रताप रूडी, माननीय सांसद लोकसभा

माननीय सांसद लोकसभा ने दूसरे कार्यकाल के लिए प्राधिकरण के सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्त होने पर निम्नलिखित मामलों में अपडेट का अनुरोध किया:

- a. व्याघ्र संरक्षण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का लाभ उठाना
- b. चल रहे प्रोजेक्ट टाइगर के बजट में वृद्धि
- c. भारत सरकार द्वारा सीधे वित्तीय सहायता का वितरण

- d. व्याघ्र आरक्षों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की स्थिति
- e. व्याघ्र आरक्षों के जल एटलस का प्रकाशन
- f. व्याघ्र आरक्षों में वन विश्राम गृहों का दस्तावेजीकरण
- g. व्याघ्र आरक्षों में लैंटाना के प्रबंधन में नवीनतम प्रगति
- h. व्याघ्र आरक्षों में विशेष व्याघ्र सुरक्षा बल की स्थिति
- i. व्याघ्र आरक्षों के राजस्व/आय को सीधे टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन में पुनः निवेश करना
- j. व्याघ्र आरक्षों में प्रकृति गाइडों और ईको-पर्यटकों के बीच मौन संचार के लिए उपकरणों का प्रावधान
- k. व्याघ्र आरक्षों में होने वाली घटनाओं की मासिक रिपोर्टिंग के लिए एक प्रारूप विकसित करना
- l. गश्त मानकों की रिपोर्ट का अनुपालन
- m. बचाव वाहनों की अभयारण्य वार स्थिति
- n. शिक्षा प्रणाली में प्रकृतिवादियों के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित करना
- o. अधिकार-भारित वनों के कारण उत्पन्न होने वाला संघर्ष
- p. व्याघ्र आरक्षों में कार्बन पृथक्करण का मानचित्रण
- q. बफर क्षेत्रों में ईको-पर्यटन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के अलावा व्याघ्र आरक्षों के ऊपर हॉट एयर बलूनिंग की संभावना तलाशना
- r. कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को व्याघ्र आरक्ष के रूप में अधिसूचित करने की स्थिति
- s. गलियारों की पहचान की स्थिति

3. श्री रवि सिंह

सदस्य ने सूचित किया कि आवास की गुणवत्ता, विशेष रूप से घास के मैदान अधिकांश पर्यावासों में खराब हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप खुरदार अथवा तृणभोजी जानवरों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिनकी संख्या कम हो गई है, साथ ही भक्ष्य प्रजातियां व्याघ्र आरक्षों की आधिकारिक सीमाओं से बाहर जा रही हैं जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष का क्षेत्र बढ़ रहा है।

उन्होंने सुझाव दिया कि इस मुद्दे के समाधान के लिए परिदृश्य-विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करने की रणनीति बनाने और संभावना तलाशने हेतु विभिन्न परिदृश्यों के विशेषज्ञों के एक छोटे समूह को लगाया जाए।

4. श्री एस. एस. श्रीवास्तव

दुधवा टाइगर रिजर्व के पास दक्षिण खीरी प्रादेशिक प्रभाग

और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के पास बिजनौर सामाजिक वानिकी प्रभाग का उदाहरण देते हुए, सदस्य ने सूचित किया कि व्याघ्र आरक्षों के बाहर बहिर्गमन करने वाले व्याघ्रों के प्रबंधन के लिए ऐसे प्रभागों के पास तकनीकी और वित्तीय संसाधन अपर्याप्त हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन गतिविधियों और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए मानक मानदंड) दिशा-निर्देश, 2012 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुरूप व्याघ्र आरक्षों के बाहर व्याघ्रों के लिए सहायता बढ़ाई जानी चाहिए।

5. डॉ. पी. के. मलिक

राजस्थान में सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिज़र्व के मामले का हवाला देते हुए, सदस्य ने सूचित किया कि व्याघ्र आबादी की निगरानी के संदर्भ में इन दोनों व्याघ्र अभयारण्यों के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को तेज करने की आवश्यकता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि सरिस्का की राष्ट्रीय राजधानी के निकट होने की स्थिति और वहां व्याघ्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, इसके विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति बनाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6. सुश्री मधु वर्मा

सदस्य ने सूचित किया कि स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास का पैकेज कोर/महत्वपूर्ण व्याघ्र पर्यावासों में रहने वाले सभी समुदायों के लिए आकर्षक नहीं हो सकता है।

उपलब्ध स्थानांतरण पैकेज के माध्यम से और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए कार्बन बाजारों का लाभ उठाने पर विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट्स को कार्बन बाजारों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि व्याघ्र पर्यावासों में बहाली निवेश के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके। कार्बन बाजारों के माध्यम से व्याघ्र आरक्षों द्वारा अर्जित पूरक आय उन समुदायों को भी प्रोत्साहित करेगी जो व्याघ्र आरक्ष के आसपास रहते हैं, क्योंकि वे ही आमतौर पर संरक्षण प्रयासों का खामियाजा भुगतते हैं।

7. श्री रूप नारायण मांडवे

सदस्य ने सुझाव दिया कि स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वसन के पैकेज को मुद्रास्फीति के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए ताकि इसे और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। उन्होंने उल्लेख किया कि वन क्षेत्रों से स्थानांतरित किए जा रहे लोग आमतौर पर किसी भी बदलाव के प्रति अनिच्छुक होते हैं, जिसे पर्याप्त क्षमता और कौशल उन्नयन के माध्यम से स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास को प्रोत्साहित करते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश में नव अधिसूचित रातापानी टाइगर रिज़र्व का उदाहरण देते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि व्याघ्र/वन्यजीवों के हताहत होने से बचाने के लिए मौजूदा रैखिक बुनियादी ढांचे का रेट्रोफिटिंग किया जाना चाहिए।

8. श्री राजन सहगल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि उनके मंत्रालय की योजनाओं को व्याघ्र आरक्षों के बाहरी इलाकों में रहने वाले समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में व्याघ्र संरक्षण प्रयासों के साथ जोड़ा जा सकता है।

9. जनजातीय कार्य मंत्रालय

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्यों को स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वसन करने का अनुरोध करने वाला एनटीसीए का पत्र प्रसारित होने के बाद उन्हें संगठनों से कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। यह बताया गया कि...

आवश्यक परामर्श किया गया था और यह निर्देश दिया गया था कि बैठक में उठाए गए मामले की प्रभाग द्वारा विधिवत जांच की जाए ताकि यह पता चल सके कि इन मुद्दों की पहले जांच की गई थी या नहीं।

10. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखंड

चूंकि उत्तराखंड के प्रादेशिक वनों में व्याघ्रों की काफी उपस्थिति है, इसलिए सदस्य ने सुझाव दिया कि संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर के ऐसे प्रभागों को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में M-STripes के उपयोग का विस्तार किया जाना चाहिए।

11. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, तमिलनाडु

सदस्य ने सुझाव दिया कि व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन के कार्यक्षेत्र को व्याघ्र आरक्ष से बाहर के क्षेत्रों में भी मजबूत किया जाना चाहिए।

12. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान ने प्राधिकरण को सूचित किया कि स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वासन के संबंध में आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए मौजूदा नीति में उपलब्ध नकद पैकेज को बढ़ाने की आवश्यकता है।

13. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, ओडिशा

सदस्य ने प्राधिकरण को महाराष्ट्र के ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व से ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में व्याघ्रों के अंतर-राज्यीय स्थानांतरण के बारे में जानकारी दी।

14. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, छत्तीसगढ़

मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ में व्याघ्र आरक्षों के कोर/मुख्य व्याघ्र पर्यावास में रहने वाले लोग वन भूमि पर स्थानांतरित होने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि एनटीसीए द्वारा व्याघ्र आरक्षों में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक कार्यशाला आयोजित की जाए ताकि अनुभवात्मक शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अलावा, मंत्रालय को होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान प्रदान करने के विकल्प तलाशने चाहिए।

15. निदेशक, वन्यजीव संरक्षण, MoEF&CC

अतिरिक्त वन महानिदेशक (वन्यजीव) ने राय व्यक्त की कि व्याघ्र आरक्षों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में पहचानी गई कमियों को राज्यों के साथ समय-समय पर जुड़कर दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति में चर्चा के अनुसार अवांछित आक्रामक गैर स्थानिक खर-पतवार की प्रजातियों की समस्या को संबोधित करने का नीतिगत एजेंडा व्याघ्र आरक्षों के लिए भी प्रासंगिक था।

16. वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, MoEF&CC

DGF&SS ने प्राधिकरण से अरुणाचल प्रदेश राज्य के परामर्श से दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने में तेजी लाने का अनुरोध किया।

अंत में, उपाध्यक्ष, एनटीसीए/ माननीय राज्य मंत्री, MoEF&CC और अध्यक्ष, एनटीसीए/ माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

उपाध्यक्ष, एनटीसीए/ माननीय राज्य मंत्री, MoEFCC

i. उपाध्यक्ष, एनटीसीए/ माननीय राज्य मंत्री, MEFC ने जेनेटिक नियंत्रण जैसे नए तरीकों का उपयोग करके आक्रामक गैर स्थानिक प्रजातियों के मुद्दे को हल करने की आवश्यकता को दोहराया। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए क्योंकि इसे 2012 में सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी।

अध्यक्ष, एनटीसीए/ माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (HMEFCC)

i. अध्यक्ष, एनटीसीए/ माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा कि देश का व्याघ्र संरक्षण मॉडल अद्वितीय है जिसे अब दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि टाइगर रिजर्व नेटवर्क बढ़कर 57 हो गया है और अब यह देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2.5% हिस्से पर विद्यमान है। अध्यक्ष, एनटीसीए ने इस बात पर जोर दिया कि व्याघ्र आरक्ष के कोर/मुख्य व्याघ्र पर्यावासों से गांवों के स्वैच्छिक पुनर्स्थापन, जिसे वैधानिक प्रावधानों का समर्थन प्राप्त है, को प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए ताकि व्याघ्र संरक्षण और समावेशी विकास के लिए परस्पर विजय की स्थिति प्राप्त की जा सके और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुख्यधारा में लाया जा सके।

ii. उन्होंने आगे कहा कि बफर और कॉरिडोर क्षेत्रों में उचित शमन रणनीतियों के माध्यम से हरित विकास हासिल किया जाना चाहिए, जबकि व्याघ्र प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार कोर/मुख्य व्याघ्र आवास को 'इनवॉयलेट' (अनतिक्रान्त / अक्षुण्ण) बनाया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वैच्छिक पुनर्स्थापन निष्पादित करते समय वन निवासियों की जरूरतों और उनकी वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने देश में टियर-II शहरों के विकास के लिए एक उपकरण के रूप में व्याघ्र आरक्षों की क्षमता पर भी बल दिया।

बैठक सदस्य सचिव, एनटीसीए के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

एफ. सं. 15-30(7)/2023-एनटीसीए

नई दिल्ली, 20 मई, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 7वीं तकनीकी समिति की बैठक के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय का संदर्भ लेने और इसके साथ सूचना के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 7वीं तकनीकी समिति की बैठक का संक्षिप्त सारांश रिकॉर्ड संलग्न करने का निर्देश दिया गया है। यह बैठक 29 अप्रैल, 2024 (सोमवार) को 11:00 बजे ADG (PT & E) एवं MS (एनटीसीए) की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी।

हस्ताक्षरित: वैभव चंद्र माथुर

दिनांक: 20-05-2024 12:03:51

(डॉ. वैभव सी. माथुर)

उप महानिरीक्षक (एनटीसीए)

ईमेल: dig1-एनटीसीए@nic.in

दूरभाष (EPABX): +91 11 24367837-39

फैक्स: +91 11 24367836

संलग्नक: यथोपरि।

वितरण:

1. सभी सदस्य, तकनीकी समिति, एनटीसीए।
2. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड।
3. फील्ड निदेशक, सिमलीपाल, मुकुंदरा हिल्स, कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व।
4. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
5. महासचिव, ग्लोबल टाइगर फोरम, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:

1. ADG (PT & E) एवं MS (एनटीसीए) के निजी सचिव को।
2. IGF (एनटीसीए), मुख्यालय, नई दिल्ली के निजी सहायक को।
3. अनुभाग अधिकारी (एनटीसीए) / डेटा विश्लेषक (एनटीसीए), नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

तकनीकी समिति के सदस्य, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण:

1. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।

2. निदेशक (IFD), (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय), नई दिल्ली
3. श्री एस. एस. श्रीवास्तव, पूर्व पीसीसीएफ (प्रधान मुख्य वन संरक्षक) एवं HoFF (वन बल प्रमुख), ओडिशा
4. डॉ. एच. एस. नेगी, पूर्व एपीसीसीएफ (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक) (वन्यजीव), मध्य प्रदेश
5. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (Chief Wildlife Warden), राजस्थान
6. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (Chief Wildlife Warden), उत्तराखंड

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 7वीं तकनीकी समिति की बैठक का सारांश अभिलेख

क्र.सं.	एजेंडा (विषय)	एजेंसी	लागत	सिफारिशें
एजेंडा 1	चिला बैराज के पास एक दुर्घटना में मारे गए वन कर्मियों के लिए अनुग्रह राशि (Ex-gratia) के भुगतान की मंजूरी।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (CWLW), उत्तराखंड	₹5 लाख प्रति व्यक्ति	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/प्रोजेक्ट टाइगर के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदन के लिए अनुशंसित।
एजेंडा 2	पेंच से कान्हा टाइगर रिजर्व तक मध्य प्रदेश में ढोल (जंगली कुत्तों) पर शोध के लिए अनुमति में संशोधन।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मध्य प्रदेश	-	अनुमोदन के लिए अनुशंसित।
एजेंडा 3	सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाना (Supplementation)।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, ओडिशा	-	निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन के लिए अनुशंसित: 1. सक्रिय प्रबंधन पर इस प्राधिकरण के एसओपी का पालन। 2. बाघों को मध्य भारतीय परिदृश्य से लाना, अधिमानतः मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र से।
एजेंडा 4	कूनो नेशनल पार्क, श्योपुर में घूमते हुए देखे गए बाघ पर सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, मध्य प्रदेश	-	अनुमोदन के लिए अनुशंसित।
एजेंडा 5	बाघिन T-114 के शावकों के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करना।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान	-	निम्नलिखित के लिए अनुमोदन अनुशंसित: 1. राज्य उक्त बाघों के 'रिवाइलिंग' (पुनः जंगली बनाने) के दौरान पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए एक टीम का गठन करेगा, जिसमें पशु चिकित्सक और जीवविज्ञानी के अलावा क्षेत्र के अधिकारी शामिल होंगे।

क्र. सं.	कार्यसूची (एजेंडा)	एजेंसी	लागत	सिफारिशें
6	बाघ परिदृश्य में संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन नियोजन	ग्लोबल टाइगर फोरम	₹ 20 लाख (प्रति प्लान)	एनटीसीए द्वारा स्थलों के अंतिम चयन के अधीन अनुमोदन की सिफारिश
7	असम के विशिष्ट परिदृश्यों में तितली समुदायों की पारिस्थितिक निगरानी	गौरव नदी दास (CWLW, असम द्वारा अनुमोदित)	—	अनुमोदन की सिफारिश की गई
8	2024-25 से 2028-29 तक एनटीसीए टाइगर सेल के लिए बजट आवंटन	एनटीसीए	₹17,804,043	अनुमोदन की सिफारिश की गई
9	एनटीसीए टाइगर सेल के अधिदेश को चलाने के लिए सेवा निवृत्ति के बाद प्रो. क्रमर कुरैशी को सलाहकार के रूप में नियुक्त करना	एनटीसीए	भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार	अनुमोदन की सिफारिश की गई

फाइल संख्या: 15-30(8)/2023-एनटीसीए
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)

दिनांक: ई-हस्ताक्षर के अनुसार

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एनटीसीए की 8वीं तकनीकी समिति के सारांश रिकॉर्ड के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को 03 जुलाई, 2024 को आयोजित एनटीसीए की 8वीं तकनीकी समिति का संदर्भ देने और उक्त बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त (minutes) को सूचना एवं अवलोकन हेतु संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

(वैभव चंद्र माथुर द्वारा हस्ताक्षरित)

दिनांक: 15-07-2024 19:31:13

(डॉ. वैभव सी. माथुर)

उप महानिरीक्षक (एनटीसीए)

ईमेल: dig1-एनटीसीए@nic.in

दूरभाष: +91 11 24367837-39

फैक्स: +91 11 24367836

वितरण:

1. तकनीकी समिति, एनटीसीए के सभी सदस्य (सूची संलग्न)।
2. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, असम और ओडिशा।
3. क्षेत्र निदेशक, नामेरी/मानस टाइगर रिजर्व, असम।
4. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।

प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त महानिदेशक (PT & E) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) के निजी सचिव।
2. महानिरीक्षक (एनटीसीए), मुख्यालय, नई दिल्ली के निजी सचिव।

तकनीकी समिति के सदस्य, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण:

- निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
- निदेशक (IFD), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- श्री एस. एस. श्रीवास्तव, पूर्व PCCF एवं HoFF, ओडिशा।
- डॉ. एच. एस. नेगी, पूर्व APCCF (WL), मध्य प्रदेश।
- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान।
- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखंड।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 8वीं तकनीकी समिति की बैठक का सारांश अभिलेख

क्र. सं.	कार्यसूची	एजेंसी	वित्तीय निहितार्थ	सिफारिशें
एजेंडा 1	सतकोसिया टाइगर रिजर्व में व्याघ्रों के पुनरुद्धार की फिर से शुरुआत।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, ओडिशा	-	अनुमोदन के लिए अनुशंसित। एनटीसीए के व्याघ्रों के सक्रिय प्रबंधन के SOP के पालन और इस उद्देश्य के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अधीन।
एजेंडा 2	सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ओडिशा के पास एक 'मेलानिस्टिक टाइगर सफारी' की स्थापना।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, ओडिशा	-	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) को भेजने के लिए अनुशंसित। चूंकि यह परियोजना व्याघ्र और वन्यजीव संरक्षण के व्यापक हित में होगी।
एजेंडा 3	M-STripES परियोजना के लिए सहायता अनुदान का पुनः विनियोजन।	एनटीसीए टाइगर सेल	बिना किसी अतिरिक्त लागत के पुनः विनियोजन	अनुमोदन के लिए अनुशंसित।
एजेंडा 4	एनटीसीए टाइगर सेल के विस्तार के संबंध में प्रसारित कार्यवृत्त का सुधार (संदर्भित पत्र और कुल राशि)।	एनटीसीए	-	अनुमोदन के लिए अनुशंसित। तकनीकी समिति को 7वीं तकनीकी समिति के बाद प्रसारित संदर्भित पत्र और कुल राशि के संबंध में टंकण त्रुटि (typographical error) से अवगत कराया गया।
एजेंडा 5	नामेरी टाइगर रिजर्व, असम के TCP) को अंतरिम रूप से जारी रखने का प्रस्ताव।	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, असम	-	अनुमोदन के लिए अनुशंसित। इस शर्त के अधीन कि संपूर्ण TCP अगस्त, 2024 तक प्रस्तुत किया जाएगा।

क्र. सं.	कार्यसूची	एजेंसी	वित्तीय निहितार्थ	सिफारिशें
एजेंडा 6	दुनिया के प्रथम अंतरमहाद्वीपीय बड़े मांसभक्षी के स्थानांतरण पर वेब-सीरीज का प्रस्ताव - प्रोजेक्ट चीता - इनसाइड आउट।	शेन फिल्म्स (Shen Films) और प्लांटिंग प्रोडक्शन	2.00 करोड़ रुपये	अनुमोदन के लिए अनुशंसित, एनटीसीए के लिए बिना किसी लागत के।
एजेंडा 7	नामेरी टाइगर रिजर्व, असम में क्लाउडेड लेपर्ड (धूमिल तेंदुआ) के लिए संरक्षण योजना का विकास।	क्षेत्र निदेशक / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, असम	25.00 लाख रुपये	अनुमोदन के लिए अनुशंसित।
एजेंडा 8	मानस टाइगर रिजर्व की व्याघ्र संरक्षण योजना (TCP) का विस्तार।	क्षेत्र निदेशक, मानस TR / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, असम	-	अनुमोदन के लिए अनुशंसित, इस शर्त के साथ कि नया TCP अगस्त, 2024 तक प्रस्तुत किया जाएगा।
एजेंडा 9	AITE परियोजना का विस्तार।	निदेशक, WII (भारतीय वन्यजीव संस्थान)	-	अनुमोदन के लिए अनुशंसित, इस शर्त के साथ कि इसके बाद और विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
एजेंडा 10	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) टाइगर सेल, नई दिल्ली में कंसल्टेंट और रिसर्च एसोसिएट के अनुबंध का विस्तार।	एनटीसीए टाइगर सेल	96,000/- रुपये	अनुमोदन के लिए अनुशंसित, IFD (एकीकृत वित्त प्रभाग) की सहमति के अधीन।
एजेंडा 11	एनटीसीए मुख्यालय और बेंगलुरु, गुवाहाटी एवं नागपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के आउटसोर्स स्टाफ के वार्षिक अनुबंध का नवीनीकरण।	एनटीसीए	-	अनुमोदन के लिए अनुशंसित, IFD की सहमति के अधीन।

फाइल संख्या: 15-30(9)/2023-एनटीसीए
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)

दिनांक: ई-हस्ताक्षर के अनुसार

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एनटीसीए की 9वीं तकनीकी समिति के सारांश रिकॉर्ड के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को 20 सितंबर, 2024 को आयोजित एनटीसीए की 9वीं तकनीकी समिति का संदर्भ देने और उक्त बैठक के अनुमोदित निर्णयों को सूचना एवं अवलोकन हेतु संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

(वैभव चंद्र माथुर द्वारा हस्ताक्षरित)

दिनांक: 04-10-2024 10:50:16

(डॉ. वैभव सी. माथुर)

उप महानिरीक्षक (एनटीसीए)

ईमेल: dig1-एनटीसीए@nic.in

दूरभाष: +91 11 24367837-39

फैक्स: +91 11 24367836

वितरण:

1. तकनीकी समिति, एनटीसीए के सभी सदस्य (सूची संलग्न)।
2. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, आंध्र प्रदेश/ महाराष्ट्र।
3. क्षेत्र निदेशक, पेंच (MH)/ NSTR/ सरिस्का/ माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश।
4. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
5. सुश्री दिशा जोशी, निदेशक, सांकला फाउंडेशन।

प्रतिलिपि:

1. सभी अधिकारी, एनटीसीए मुख्यालय, नई दिल्ली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक (PT) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) के निजी सचिव / महानिरीक्षक (एनटीसीए) के निजी सहायक।

तकनीकी समिति के सदस्य, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण:

- निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
- निदेशक (IFD), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- श्री एस. एस. श्रीवास्तव, पूर्व PCCF एवं HoFF, ओडिशा।
- डॉ. एच. एस. नेगी, पूर्व APCCF (WL), मध्य प्रदेश।
- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान।
- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखंड।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 9वीं तकनीकी समिति की बैठक का सारांश अभिलेख

क्र. सं.	कार्यसूची	राशि	सिफारिशें
एजेंडा 1	सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान की व्याघ्र संरक्षण योजना (TCP) का विस्तार।	कोई लागत नहीं	31 मार्च, 2025 तक विस्तार के लिए अनुशंसित।
एजेंडा 2	महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से राजस्थान राज्य में व्याघ्रों/व्याघ्रिनों का स्थानांतरण। महाराष्ट्र: 4 व्याघ्रिन मध्य प्रदेश: 2 व्याघ्रिन छोड़ने के स्थान: मुकुंदरा हिल्स: 1 नर और 2 मादा रामगढ़: 2 मादा	कोई लागत नहीं	निम्नलिखित के लिए अनुमोदन हेतु अनुशंसित: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व: सरिस्का से 1 नर (ST2303) और मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र से 3 मादा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पहले ST2303 को लाया जाए, उसके बाद भक्ष्य प्रजातियों की संख्या में वृद्धि की जाए और बाद में अन्य जानवरों को स्थानांतरित किया जाए। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व: रणथंभौर टाइगर रिजर्व से 1 नर और मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र से 2 मादा।
एजेंडा 3	पापीकोंडा नेशनल पार्क से NSTR, आंध्र प्रदेश में गौर का स्थानांतरण (10 नर और 30 मादा: कुल 40 जानवर)।	कोई लागत नहीं	राज्य के साथ आगे के परामर्श के लिए स्थगित।
एजेंडा 4	टाइगर रिजर्व के भीतर और आसपास रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य वनवासियों के संरक्षण लोकाचार को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए सहयोग और सहायता।	39.39 लाख रुपये	स्थगित, क्योंकि सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होना अभी बाकी है।
एजेंडा 5	पेंच टाइगर रिजर्व, नागपुर के कोर क्षेत्र में ऊदबिलाव संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव।	कोई लागत नहीं	अस्वीकृति के लिए अनुशंसित।

क्र. सं.	कार्यसूची	राशि	सिफारिशें
एजेंडा 6	इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस को सहायता।	[रु. दस] लाख	अस्वीकृति के लिए अनुशंसित।
एजेंडा 7	एनटीसीए के लिए डिजिटल डैशबोर्ड विकसित करने हेतु GTF (ग्लोबल टाइगर फोरम) का तकनीकी सहायता प्रस्ताव।	कोई लागत नहीं	"सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए अनुशंसित।
एजेंडा 8	सरिस्का टाइगर रिजर्व के नर व्याघ्र ST-2303 के संबंध में प्रस्ताव।	कोई लागत नहीं	अनुमोदन के लिए अनुशंसित।
एजेंडा 9	माधव नेशनल पार्क में व्याघ्रों का स्थानांतरण।	कोई लागत नहीं	स्थगित करने के लिए अनुशंसित।
एजेंडा 10	राजस्थान में व्याघ्रिन T-114 के शावकों के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करना (जैसा कि 7वीं तकनीकी समिति में तय किया गया था)।	-	अनुमोदन के लिए अनुशंसित।

फाइल संख्या: 15-30(10)/2023-एनटीसीए
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)

दिनांक: ई-हस्ताक्षर के अनुसार

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एनटीसीए की 10वीं तकनीकी समिति के सारांश रिकॉर्ड के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को 03 अक्टूबर, 2024 को आयोजित एनटीसीए की 10वीं तकनीकी समिति का संदर्भ देने और उक्त बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त (minutes) को सूचना एवं अवलोकन हेतु संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

(वैभव चंद्र माथुर द्वारा हस्ताक्षरित)
दिनांक: 15-10-2024 15:18:46
(डॉ. वैभव सी. माथुर)
उप महानिरीक्षक (एनटीसीए)
ईमेल: dig1-एनटीसीए@nic.in
दूरभाष: +91 11 24367837-39
फैक्स: +91 11 24367836

वितरण:

1. तकनीकी समिति, एनटीसीए के सभी सदस्य (सूची संलग्न)।
2. सुश्री दिशा जोशी, निदेशक, सांकला फाउंडेशन।

प्रतिलिपि:

1. सभी अधिकारी, एनटीसीए मुख्यालय, नई दिल्ली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक (PT) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) के निजी सचिव / महानिरीक्षक (एनटीसीए) के निजी सहायक।

तकनीकी समिति के सदस्य, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण:

- निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
- निदेशक (IFD), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- श्री एस. एस. श्रीवास्तव, पूर्व PCCF एवं HoFF, ओडिशा।
- डॉ. एच. एस. नेगी, पूर्व APCCF (WL), मध्य प्रदेश।
- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान।
- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखंड।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 10वीं तकनीकी समिति की बैठक का सारांश अभिलेख

क्र. सं.	कार्यसूची	राशि	निर्णय
एजेंडा 1	टाइगर रिजर्व के भीतर और आसपास रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य वनवासियों के संरक्षण लोकाचार को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए सहयोग और सहायता।	39.39 लाख रुपये	स्वीकृत

फाइल संख्या: 15-30(11)/2023-एनटीसीए
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)

दिनांक: ई-हस्ताक्षर के अनुसार

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एनटीसीए की 11वीं तकनीकी समिति के सारांश रिकॉर्ड के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को 14 नवंबर, 2024 को आयोजित एनटीसीए की 11वीं तकनीकी समिति का संदर्भ देने और उक्त बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त (minutes) को सूचना एवं अवलोकन हेतु संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

(डॉ. वैभव सी. माथुर)
उप महानिरीक्षक (एनटीसीए)
हस्ताक्षर तिथि: 01-12-2024
ईमेल: dig1-एनटीसीए@nic.in
दूरभाष: +91 11 24367837-39
फैक्स: +91 11 24367836

वितरण:

1. तकनीकी समिति, एनटीसीए के सभी सदस्य।
2. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, महाराष्ट्र/ आंध्र प्रदेश/ छत्तीसगढ़/ मध्य प्रदेश।
3. ओएसडी (OSD), एनटीसीए क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी।

प्रतिलिपि:

- सभी अधिकारी, एनटीसीए मुख्यालय, नई दिल्ली।
- अतिरिक्त महानिदेशक (PT) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) के निजी सचिव / महानिरीक्षक (एनटीसीए) के निजी सहायक।

तकनीकी समिति के सदस्य, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण:

- निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
- निदेशक (IFD), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- श्री एस. एस. श्रीवास्तव, पूर्व PCCF एवं HoFF, ओडिशा।
- डॉ. एच. एस. नेगी, पूर्व APCCF (WL), मध्य प्रदेश।
- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान।
- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखंड।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 11वीं तकनीकी समिति की बैठक का सारांश अभिलेख

क्र. सं.	कार्यसूची	राशि	सिफारिशें
एजेंडा 1	बेलोरा हवाई अड्डे से पेंच टाइगर रिजर्व में 40 कृष्णमृग के स्थानांतरण का प्रस्ताव।	कोई लागत नहीं	राज्य के साथ चर्चा के अभाव में स्थगित करने की सिफारिश।
एजेंडा 2	भारत के सभी टाइगर रिजर्व को आम जनता के लिए 'नो-फ्लाई ज़ोन' (ड्रोन हेतु) घोषित करने का अनुरोध।	कोई लागत नहीं	अनुमोदन की सिफारिश (सिवाय राज्य व केंद्र के उन अधिकारियों के जो व्याघ्र/ वन्यजीव संरक्षण सम्बन्धी कार्यों में लगे हैं)।
एजेंडा 3	श्री डब्ल्यू. लॉन्गवाह के परामर्श (Consultancy) का एक वर्ष (जनवरी 2025 से जनवरी 2026) के लिए विस्तार।	1,27,800/- प्रति माह	अनुमोदन के लिए अनुशंसित।
एजेंडा 4	नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में गौर (Gaur) के पुनरुद्धार का प्रस्ताव।	कोई लागत नहीं	अनुमोदन की सिफारिश (पेंच, सतपुड़ा, कान्हा और ताडोबा से प्राथमिकता के आधार पर गौर लाए जाएंगे)।
एजेंडा 5	बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य (WLS) में 2 मादा व्याघ्रिणों का स्थानांतरण।	कोई लागत नहीं	स्थगित; राज्य को अभयारण्य से सटे वन क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर स्वैच्छिक ग्राम पुनर्स्थापन करना होगा।
एजेंडा 6	माधव नेशनल पार्क में व्याघ्रों का स्थानांतरण।	कोई लागत नहीं	माधव नेशनल पार्क के पश्चिमी आधे हिस्से में एक नर और एक मादा के लिए अनुमोदन की सिफारिश।

अतिरिक्त कार्यसूची

क्र.सं.	एजेंडा (विषय)	लागत	सिफारिशें
एजेंडा 7	परिदृश्य (Landscape) स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास हेतु सक्रिय प्रबंधन के लिए एसओपी में संशोधन।	कोई लागत नहीं	अनुमोदन के लिए अनुशंसित। CG-क्लस्टर III: सिमलीपाल TR और सतकोसिया TR में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे: मौजूदा (Existing): "इसलिए, हमें मध्य के अन्य क्षेत्रों से इस क्लस्टर में बाघों के स्थानांतरण से बचकर इस परिदृश्य की आनुवंशिक अखंडता बनाए रखने की आवश्यकता है।" संशोधन (Amendment): CG-क्लस्टर III (सिमलीपाल TR और सतकोसिया TR) में बाघों की आबादी के सक्रिय प्रबंधन के लिए, प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित आबादी से बाघ लाए जाने चाहिए: 1. बांधवगढ़ और आसपास की आबादी 2. कान्हा और आसपास की आबादी 3. ताडोबा-पेंच और विदर्भ की आबादी 4. मध्य प्रदेश की अन्य स्रोत आबादी, केवल तभी जब उपरोक्त विकल्प व्यवहार्य न हों।
एजेंडा 8	माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करना।	कोई लागत नहीं	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 V के तहत अंतिम अनुमोदन के लिए अनुशंसित।

क्र. सं.	कार्यसूची	लागत	सिफारिशें
एजेंडा 9	केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर से रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 500 चित्तल के स्थानांतरण का प्रस्ताव।	कोई लागत नहीं	स्थगित करने की सिफारिश; क्योंकि राज्य द्वारा पूर्व में किए गए ऐसे अभ्यासों के विवरण की कमी है।

फाइल संख्या: 15-30(12)/2023-NTCA
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक: ई-हस्ताक्षर के अनुसार

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एनटीसीए की 12वीं तकनीकी समिति के सारांश रिकॉर्ड के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को 24 फरवरी, 2025 को आयोजित एनटीसीए की 12वीं तकनीकी समिति का संदर्भ देने और उक्त बैठक के निर्णयों को सूचना एवं अवलोकन हेतु संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

(वैभव चंद्र माथुर द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

दिनांक: 19-03-2025 12:05:20

(डॉ. वैभव सी. माथुर)

उप महानिरीक्षक (एनटीसीए)

ईमेल: dig1-एनटीसीए@nic.in

दूरभाष: +91 11 24367837-39

वितरण:

- तकनीकी समिति, एनटीसीए के सभी सदस्य (सूची संलग्न)।

प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त महानिदेशक (PT & E) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) के निजी सचिव।
2. महानिरीक्षक (एनटीसीए), मुख्यालय, नई दिल्ली के निजी सचिव।
3. अनुभाग अधिकारी (एनटीसीए) / डेटा एनालिस्ट (एनटीसीए), नई दिल्ली, आवश्यक कार्रवाई हेतु।

तकनीकी समिति के सदस्य, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण:

- निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून।
- निदेशक (IFD), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- श्री एस. एस. श्रीवास्तव, पूर्व PCCF एवं HoFF, ओडिशा।
- डॉ. एच. एस. नेगी, पूर्व APCCF (WL), मध्य प्रदेश।
- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान।
- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखंड।

पता: बी-1 विंग, 7वीं मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

टेलीफोन: +91 11 24367837-39 | फैक्स: +91 11 24367836 | वेबसाइट: <https://ntca.gov.in>

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की 12वीं तकनीकी समिति की बैठक का सारांश अभिलेख

क्र. सं.	कार्यसूची	राशि	सिफारिशें
एजेंडा 1	केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर से रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 500 चीतल के स्थानांतरण के संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (CWLW), राजस्थान से प्राप्त प्रस्ताव।	कोई लागत नहीं	"सैद्धांतिक" रूप से स्वीकृत, जो कि राज्य से प्राप्त विवरण और सभी जानवरों की स्वास्थ्य जांच के अधीन है।
एजेंडा 5	'अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन' (पूर्व में DST-SERB) द्वारा वृद्धि के बाद, एनटीसीए-वित्त पोषित परियोजनाओं में संशोधित फेलोशिप/मानदेय दरों के अनुमोदन के संबंध में भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून का प्रस्ताव।	-	"सैद्धांतिक" रूप से स्वीकृत।
एजेंडा 6	रणथंभौर टाइगर रिजर्व में व्याघ्रों के बहिर्गमन की निगरानी के संबंध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (CWLW), राजस्थान का प्रस्ताव।	123.50 लाख रुपये	"बिना किसी लागत" पर स्वीकृत, इस शर्त के साथ कि टेलीमेट्री का कार्य विभाग/सरकार द्वारा किया जाएगा।
एजेंडा 7	18 और 19 नवंबर, 2024 को काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में संसदीय स्थायी समिति के दौरे के खर्च के संबंध में क्षेत्र निदेशक का प्रस्ताव।	15,59,507/- रुपये	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वापस भेजने के लिए स्वीकृत।
एजेंडा 8	नामदफा टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश की व्याघ्र संरक्षण योजना (TCP)।	कोई लागत नहीं	स्वीकृत।
एजेंडा 12	सितंबर, 2024 से मार्च, 2025 तक संविदात्मक कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए G. A. डिजिटल के अनुबंध का विस्तार।	-	स्वीकृत।
एजेंडा 13	भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) का प्रस्ताव।	-	संशोधित राशि।

क्र. सं.	कार्यसूची	राशि	निर्णय/सिफारिश
एजेंडा 13	सुंदरबन टाइगर रिजर्व में बटागुर बास्का (कछुए की प्रजाति) के संरक्षण के संबंध में देहरादून (WII) का प्रस्ताव।	4,86,83,380/- रुपये	2,52,83,620/- रुपये की राशि स्वीकृत।
अतिरिक्त एजेंडा 14	कान्हा टाइगर रिजर्व से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 20 बारहसिंगा के स्थानांतरण के संबंध में पीसीसीएफ (वन्यजीव) और सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव।	-	स्वीकृत।
अतिरिक्त एजेंडा 16	कंबोडिया में व्याघ्रों की बहाली हेतु कंबोडिया और भारत के पर्यावरण मंत्रालयों के बीच सहयोग के संबंध में डब्लूआईआई (WII), देहरादून से प्राप्त प्रस्ताव।	19,73,400/- रुपये	स्वीकृत।
अतिरिक्त एजेंडा 17	अखिल भारतीय व्याघ्र, सह-परभक्षी, शिकार और उनके आवास (2025-27) के संबंध में डब्लूआईआई (WII), देहरादून से प्राप्त प्रस्ताव।	3699.70 लाख रुपये	स्वीकृत।
अतिरिक्त एजेंडा 20	व्याघ्र और सह-परभक्षी वन्यजीवों के स्वास्थ्य की जांच: भारतीय व्याघ्र आरक्षों में मांसभक्षी वन्यजीवों में पाये जाने वाले प्रमुख रोगों के प्रसार और उनके संरक्षण निहितार्थों को समझने के लिए एक व्यापक अध्ययन।	9.05 करोड़ रुपये (लेकिन बिना किसी लागत के)	भारत सरकार / एनटीसीए के लिए "बिना किसी लागत" (no-cost) पर स्वीकृत।
अतिरिक्त एजेंडा 21	सरिस्का टाइगर रिजर्व में व्याघ्रों की रेडियो कॉलरिंग।	-	विभाग/सरकार द्वारा कॉलरिंग किए जाने की शर्त पर स्वीकृत।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

फाइल संख्या: 15-30(5)/2023-एनटीसीए

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ओडिशा में मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक समिति/टीम का गठन।

इस प्राधिकरण की 5वीं तकनीकी समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार, ओडिशा में मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. सुश्री भानुमति जी., डीआईजी, एनटीसीए मुख्यालय
2. सीजेडए (केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण) के प्रतिनिधि
3. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (CWLW), ओडिशा के प्रतिनिधि

टीम के कार्य की शर्तें (ToR) इस प्रकार हैं:

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के मौजूदा प्रावधानों, एनटीसीए टाइगर सफारी दिशानिर्देश 2016, और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) के प्रासंगिक नियमों के आलोक में सफारी की व्यवहार्यता का आकलन करना।

टीम इस कार्यालय ज्ञापन (OM) के जारी होने के 15 दिनों के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

(हस्ताक्षरित)
वैभव चंद्र माथुर
उप महानिरीक्षक (DIG)
तारीख: 08-04-2024

वितरण:

1. टीम के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि (सूचना हेतु):

1. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (ओडिशा)
2. सदस्य सचिव (CZA)
3. एनटीसीए के सभी अधिकारी
4. एडीजी (पीटी) एवं एमएस (एनटीसीए) के निजी सचिव

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

फाइल संख्या: 15-30(6)/2023-एनटीसीए

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनरुद्धार को फिर से शुरू करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक समिति/टीम का गठन।

इस प्राधिकरण की छठी तकनीकी समिति में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनरुद्धार को फिर से शुरू करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. डॉ. शैलेश प्रसाद, पीसीसीएफ (सेवानिवृत्त), उत्तर प्रदेश
2. श्री हेमंत सिंह, एआईजी, एनटीसीए मुख्यालय
3. डॉ. बिवाश पांडव, वैज्ञानिक जी, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII), देहरादून

टीम के कार्य की शर्तें (ToR) इस प्रकार हैं:

बाघों के पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशों को संबोधित करने के लिए ओडिशा राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करना, साथ ही बाघों के पुनरुद्धार के लिए जमीनी स्तर पर पारिस्थितिक स्थितियों का आकलन करना, जिसमें सामुदायिक भागीदारी के मूल्यांकन पर विशेष जोर दिया जाए।

टीम इस कार्यालय ज्ञापन (OM) के जारी होने के 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

(हस्ताक्षरित)
वैभव चंद्र माथुर
उप महानिरीक्षक (DIG)
ईमेल: dig1-एनटीसीए@nic.in

वितरण:

1. टीम के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि (सूचना हेतु):

1. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (ओडिशा)
2. निदेशक (WII)
3. एनटीसीए के सभी अधिकारी
4. एडीजी (पीटी) एवं एमएस (एनटीसीए) के निजी सचिव

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक: 22-07-2024

कार्यालय ज्ञापन

चूंकि, फरवरी 2019 में गुजरात राज्य के महिसागर जिले के लुनावाड़ा तालुका में बाघ की उपस्थिति दर्ज की गई थी।
चूंकि, इस प्राधिकरण ने अपने पत्र संख्या 1-20/2013-एनटीसीए दिनांक 11 फरवरी, 2019 के माध्यम से गुजरात राज्य से इस मामले में तथ्यात्मक स्थिति मांगी थी और यह सुझाव दिया गया था कि उक्त क्षेत्र में त्वरित आधार पर सर्वेक्षण किया जाए।
चूंकि, उक्त बाघ इसके तुरंत बाद महिसागर जिले में मृत पाया गया था।
चूंकि, इस प्राधिकरण ने अपने पत्र संख्या 15-17/2011-एनटीसीए (Part IX) दिनांक 27 फरवरी, 2019 के माध्यम से बाघों की मृत्यु और बाघों के अंगों के निपटान पर प्राधिकरण के एसओपी के आलोक में कार्रवाई की स्थिति का अनुरोध किया था।
चूंकि, इस प्राधिकरण ने गुजरात के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से उक्त बाघ के साथ-साथ उपलब्ध शिकार और आवास के विवरण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था और मानव-प्रधान क्षेत्रों में बाघों के भटकने के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए इस प्राधिकरण के एसओपी से भी अवगत कराया था।
चूंकि, पत्र संख्या 16-22 (1)/2019-एनटीसीए/GJ दिनांक 20 मार्च, 2019 के माध्यम से, इस प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश राज्य के साथ समन्वय करने का सुझाव देते हुए आवश्यक मार्गदर्शन दस्तावेज प्रदान किए थे और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था।
चूंकि, वन महानिरीक्षक (IGF), एनटीसीए ने 26 से 27 फरवरी, 2019 तक गुजरात राज्य का दौरा किया और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के साथ बातचीत की, और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों के साथ अंतर-राज्यीय समन्वय को मजबूत करने की सलाह दी।
चूंकि, पत्र संख्या 16-22 (1)/2019-एनटीसीए/GJ दिनांक 02 अप्रैल, 2019 के माध्यम से उपरोक्त सलाह को दोहराया गया था।
अतः अब, गुजरात राज्य में संभावित बाघ पर्यावासों की पहचान करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित टीम का गठन किया जाता है:

1. हेमंत सिंह, एआईजी, एनटीसीए
2. डॉ. विष्णु प्रिया कोलीपाकम, वैज्ञानिक डी, भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)
3. डॉ. उज्ज्वल कुमार, अनुसंधान वैज्ञानिक, एनटीसीए टाइगर सेल, डब्ल्यूआईआई

टीम गुजरात के संभावित वन क्षेत्रों में एक त्वरित पूर्वपरीक्षण सर्वेक्षण करेगी ताकि बाघों को रखने की व्यवहार्यता का आकलन किया जा सके और देश के उक्त हिस्से में ऐतिहासिक बाघ वितरण के संदर्भ में उनके निष्कर्षों की समीक्षा की जा सके।
टीम अपने निष्कर्ष 30 अगस्त, 2024 तक प्रस्तुत करेगी।

(वैभव चंद्र माथुर)
उप महानिरीक्षक (एनटीसीए)

वितरण:

1. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, गुजरात
2. टीम के सभी सदस्य

प्रतिलिपि:

1. नोडल अधिकारी, एनटीसीए टाइगर सेल, WII
2. एडीजी (PT) और एमएस, एनटीसीए के निजी सचिव/ आईजीएफ, एनटीसीए के निजी सहायक
3. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान के निजी सचिव

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए)

फाइल संख्या: 5-6/2020-एनटीसीए

नई दिल्ली, दिनांक: 22 जुलाई, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: My Gov पोर्टल पर सितंबर, 2022 में आयोजित गतिविधियों के विजेताओं का चयन करने के लिए समिति का गठन - संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ लेने और यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि सितंबर, 2022 में My Gov पोर्टल पर 'प्रोजेक्ट चीता' के संदर्भ में निम्नलिखित 3 गतिविधियाँ आयोजित की गई थीं:

- (i) चीता के लिए स्वागत गीत की रचना
- (ii) 'अपने प्राकृतिक आवास में चीता' पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता
- (iii) चीता क्विज़

2. उपर्युक्त के दृष्टिगत, इस प्राधिकरण ने सितंबर, 2022 में My Gov पोर्टल पर आयोजित गतिविधियों के विजेताओं का चयन करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन किया है:

- (i) भानुमति जी., उप वन महानिरीक्षक, एनटीसीए
- (ii) राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के निदेशक या प्रतिनिधि
- (iii) ENVIS केंद्र, MoEFCC के प्रतिनिधि

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(हस्ताक्षरित)
(डॉ. अभिषेक कुमार)
सहायक वन महानिरीक्षक (एनटीसीए)
ईमेल: aig4-एनटीसीए@nic.in
दूरभाष (EPABX): +91 11 24367837-39
फैक्स: +91 11 24367836

प्रतिलिपि:
सभी सदस्य
वितरण:

भारत सरकार पर्यावरण
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण
फाइल संख्या: 7-1/2015-एनटीसीए

दिनांक: 23.08.2024

आदेश

विषय: राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन - संबंधित।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) के प्रावधानों के तहत, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन एतद द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:

सदस्य/अध्यक्ष	नाम
अध्यक्ष	श्रीमती भानुमति जी., DIGF, एनटीसीए मुख्यालय
सदस्य	मो. साजिद सुल्तान, AIGF, एनटीसीए मुख्यालय
सदस्य	सुश्री सुवीना ठाकुर, AIGF, MoEF&CC
सदस्य	सुश्री इंका गोयल, तकनीकी अधिकारी, NAEB
सदस्य	सुश्री ज्ञानवती, एक्शन इंडिया (NGO)

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(हस्ताक्षरित) भानुमति ज्ञानसेकरन

दिनांक: 28-08-2024 10:05:02

(भानुमति जी.)

उप वन महानिरीक्षक (एनटीसीए)

ईमेल: dig2-एनटीसीए@nic.in

दूरभाष: 011 24367837-39

वितरण:

1. ICC के अध्यक्ष/सदस्य।
2. ADG(PT&E) एवं MS एनटीसीए मुख्यालय के निजी सचिव (PS)।
3. IGF एनटीसीए मुख्यालय के निजी सहायक (PA)।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

फाइल संख्या: 7-8/2009 -एनटीसीए

नई दिल्ली, दिनांक: 01 फरवरी, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विशेष जांच दल (SIT) का गठन

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, व्याघ्र (पैंथेरा टाइग्रिस) के अवैध शिकार और उसके शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के संबंध में राजुरा तालुका, मध्य चांदा वन प्रभाग, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में दर्ज अपराध मामला संख्या 0889/22232/2025 की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है:

1. श्री रूडोल्फ अल्वारिस, आईपीएस, उप निदेशक, WCCB (प्रभारी)
2. श्री हेमंत सिंह, AIGF, एनटीसीए
3. श्री रितेश सरोठिया, प्रमुख, टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्य प्रदेश
4. सुश्री श्वेता बोड्डू, DCF, मध्य चांदा वन प्रभाग, महाराष्ट्र
5. श्री आनंद रेड्डी येलु, उप निदेशक (कोर), तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व

SIT जांच की निगरानी और पर्यवेक्षण करेगी और अखिल भारतीय स्तर पर संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों और एजेंसियों के सहयोग से 'फॉरवर्ड' और 'बैकवर्ड' कड़ियों (लिंकेज) की जांच करेगी। इसके अलावा, SIT ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए व्याघ्र परिदृश्यों में अवैध शिकार विरोधी उपायों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें प्रदान करेगी।

(हस्ताक्षरित)

वैभव चंद्र माथुर

दिनांक: 01-02-2025 17:43:44

(वैभव चंद्र माथुर)

उप वन महानिरीक्षक (एनटीसीए)

+91 11 24367837-39

ई-मेल: dig1-एनटीसीए@nic.in

प्रतिलिपि:

1. ADG (PT&E)/ADG(WL)/निदेशक WCCB
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार
3. पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई
4. PCCF (WL) एवं CWLW, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
5. श्री रूडोल्फ अल्वारिस, उप निदेशक, WCCB
6. श्री हेमंत सिंह, AIGF, एनटीसीए
7. श्री रितेश सरोठिया, प्रमुख, टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्य प्रदेश
8. सुश्री श्वेता बोड्डू, DCF, मध्य चांदा वन प्रभाग, महाराष्ट्र
9. श्री आनंद रेड्डी येलु, उप निदेशक (कोर), तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व
10. क्षेत्र निदेशक, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व

बाघ अभयारण्यों की सूची

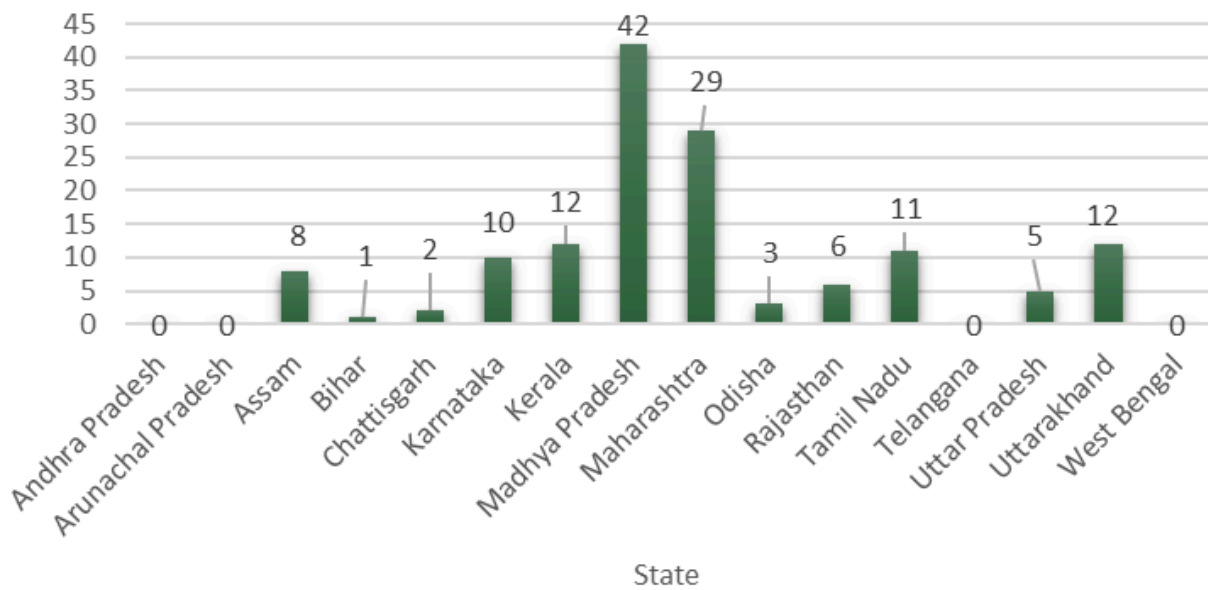
क्र. सं.	टाइगर रिजर्व	राज्य
1	नागार्जुनसागर श्रीशैलम	आंध्र प्रदेश
2	नामदफा	अरुणाचल प्रदेश
3	पक्के	अरुणाचल प्रदेश
4	कमलांग	अरुणाचल प्रदेश
5	काजीरंगा	असम
6	मानस	असम
7	नामेरी	असम
8	ओरांग	असम
9	वाल्मीकि	बिहार
10	इंद्रावती	छत्तीसगढ़
11	अचानकमार	छत्तीसगढ़
12	उदंती-सीतानदी	छत्तीसगढ़
13	गुरु घासीदास – तमोर पिंगला	छत्तीसगढ़
14	पलामू	झारखंड

क्र. सं.	टाइगर रिजर्व	राज्य
15	बांदीपुर	कर्नाटक
16	भद्रा	कर्नाटक
17	दांडेली-अंशि	कर्नाटक
18	नागरहोल	कर्नाटक
19	बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक
20	पेरियार	केरल
21	परम्बिकुलम	केरल
22	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश
23	कान्हा	मध्य प्रदेश
24	पन्ना	मध्य प्रदेश
25	पेंच	मध्य प्रदेश
26	संजय-दुबरी	मध्य प्रदेश
27	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश
28	वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
29	रातापानी टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश
30	माधव	मध्य प्रदेश

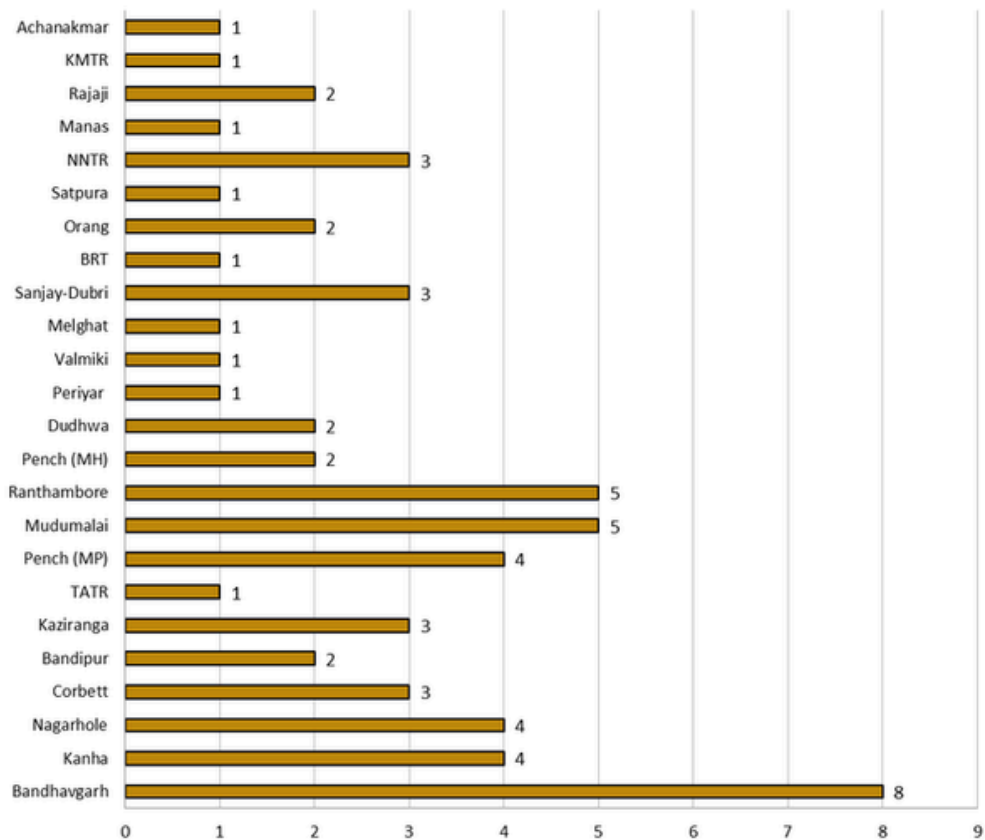
क्र. सं.	टाइगर रिजर्व	राज्य
31	पेंच	महाराष्ट्र
32	ताडोबा-अंधारी	महाराष्ट्र
33	सह्याद्री	महाराष्ट्र
34	नवेगांव-नागझिरा	महाराष्ट्र
35	बोर	महाराष्ट्र
36	मेलघाट	महाराष्ट्र
37	डम्पा	मिजोरम
38	सतकोसिया	ओडिशा
39	सिमलीपाल	ओडिशा
40	रणथंभौर	राजस्थान
41	सरिस्का	राजस्थान
42	मुकुंदरा हिल्स	राजस्थान
43	रामगढ़ विषधारी	राजस्थान
44	धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व	राजस्थान
45	कलक्कड़-मुदुनथुरै	तमिलनाडु
46	मुदुमलै	तमिलनाडु

क्रम संख्या	टाइगर रिजर्व	राज्य
47	अनामलाई	तमिलनाडु
48	सत्यमंगलम	तमिलनाडु
49	श्रीविल्लिपुथुर-मेगामलाई	तमिलनाडु
50	कवल	तेलंगाना
51	अमराबाद	तेलंगाना
52	राजाजी	उत्तराखंड
53	कॉर्बेट	उत्तराखंड
54	दुधवा	उत्तर प्रदेश
55	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश
56	रानीपुर	उत्तर प्रदेश
57	बक्सा	पश्चिम बंगाल
58	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल

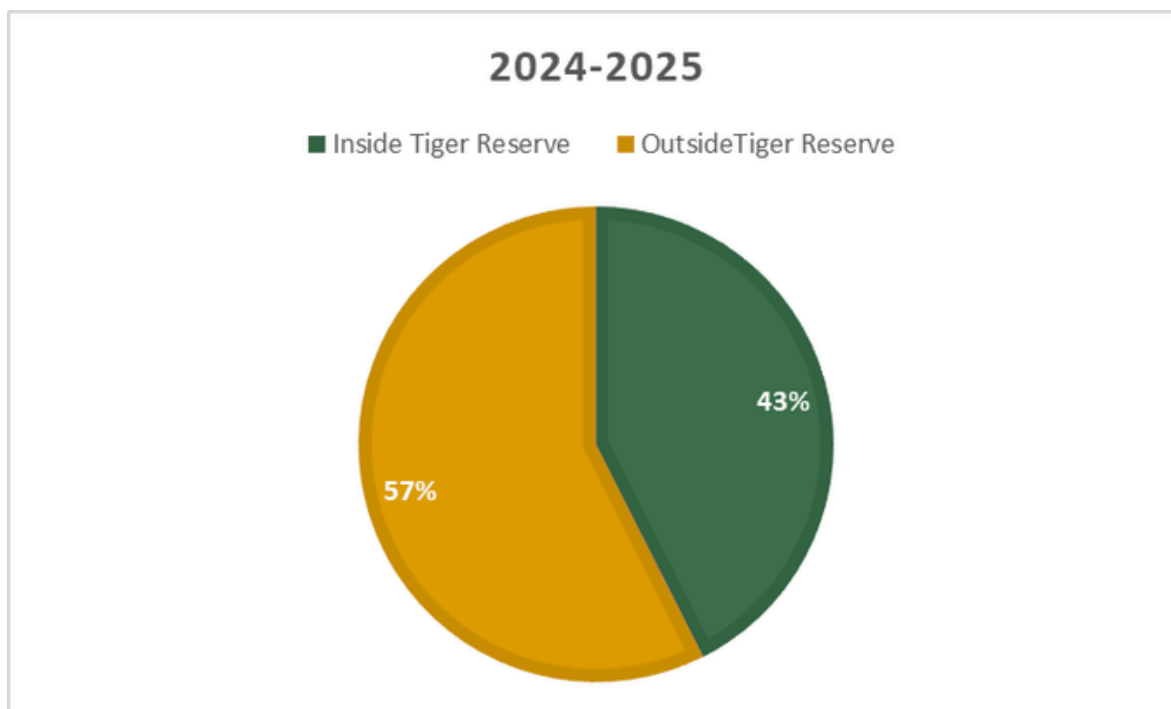
बाघों की मृत्यु के प्रकरणों की संख्या



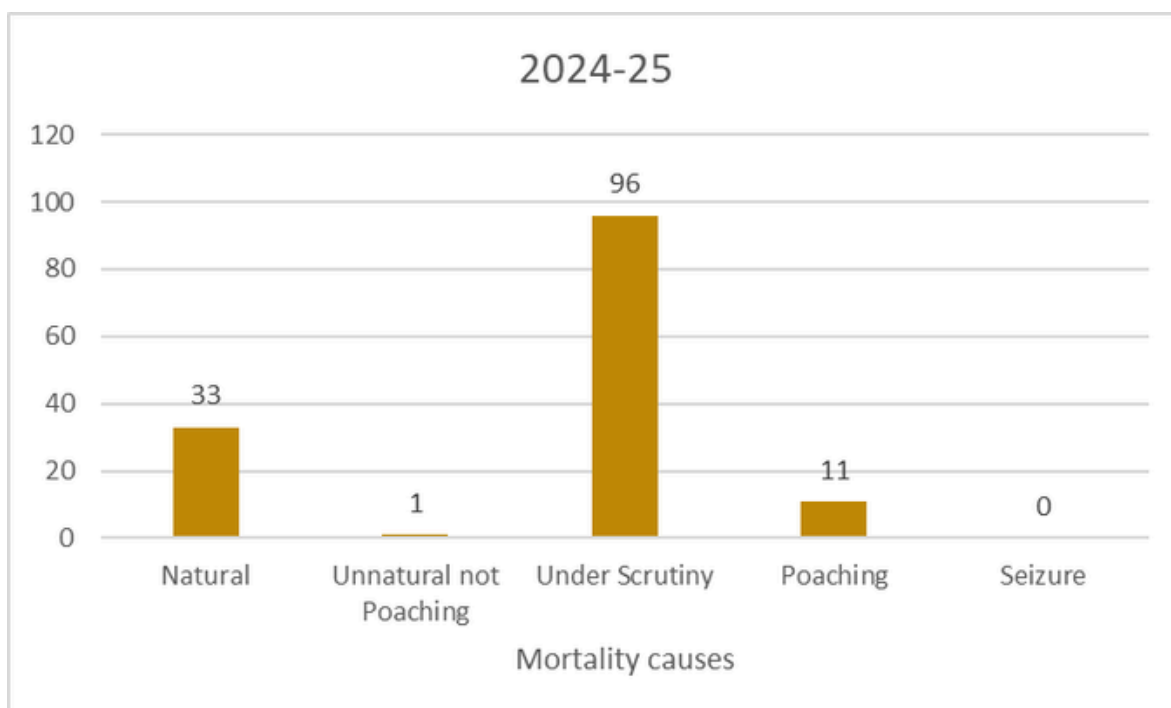
वर्ष 2024-25 में राज्यवार व्याघ्रों की मृत्यु के प्रकरण



वर्ष 2024-25 में व्याघ्र आरक्षवार व्याघ्रों की मृत्यु के प्रकरण



वर्ष 2024-25 में व्याघ्र आरक्षों के अंदर और बाहर व्याघ्रों की मृत्यु के प्रकरणों का प्रतिशत



2024-25 में व्याघ्रों की मृत्यु के कारण

सीएसएस – प्रोजेक्ट टाइगर: 2024-25 के लिए बाघ अभयारण्य-वार स्वीकृति विवरण

क्रम संख्या	टाइगर रिजर्व का नाम	2024-25 के दौरान जारी कुल राशि (लाख रुपये में)
1	नागार्जुनसागर सागर	350.7
2	नामदफा	415.43
3	पक्के	673.64
4	कमलांग	306.22
5	नमेरी	437.96
6	काजीरंगा	1,234.62
7	मानस	637
8	ओरंग	311.11
9	वाल्मीकि	522.2
10	इंद्रावती	45.14
11	उदंती सीता नदी	94.63
12	अचानकमार	146.16
13	गुरु घासीदास – तमोर पिंगला	-
14	पलामू	404.16
15	बांदीपुर	720.12
16	भद्रा	423.27
17	काली	509.04
18	नागरहोल	608.3
19	बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर	371.04

क्रम संख्या	टाइगर रिजर्व	राशि
20	पेरियार	82.63
21	परम्बिकुलम	67.72
22	गांधीसागर	312.25
23	पेंच	864.47
24	बांधवगढ़	804.77
25	माधव	-
26	पन्ना	617.56
27	रातापानी	283.4
28	कान्हा	976.62
29	कूनो	411.4
30	सतपुड़ा	703.5
31	संजय धुबरी	413.38
32	वीरांगना दुर्गावती	499.73
33	मेलघाट	999.16
34	तडोबा अंधारी	927.32
35	पेंच	722.53
36	सह्याद्री	291.68
37	बोर	358.12
38	नवेगांव नागझिरा	850.89
39	डम्पा	356.3
40	सतकोसिया	233.19
41	सिमलीपाल	527.58
42	रणथंभौर	185.325

क्रम संख्या	टाइगर रिजर्व	राशि
43	सरिस्का	202.36
44	मुकुंदरा	101.04
45	रामगढ़ विषधारी	85.97
46	धौलपुर – करौली	-
47	कलक्कड़ मुंडनथुरई	277.51
48	अनामलाई	327.6
49	मुदुमलाई	486.08
50	सत्यमंगलम	489.65
51	श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई	427.02
52	कवल	180.21
53	अमराबाद	111.48
54	दुधवा	1,136.89
55	पीलीभीत	599.07
56	रानीपुर	251.04
57	कॉर्बेट	1,095.01
58	राजाजी	561.96
59	सुंदरबन	305.53
60	बुक्सा	91.3
	कुल जारी राशि	26,429.99

सीएसएस – प्रोजेक्ट टाइगर: 2024-25 के लिए राज्य-वार स्वीकृति विवरण

क्रम संख्या	राज्य	प्रोजेक्ट टाइगर	प्रोजेक्ट एलीफेंट	कुल PT और E (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	350.7	14.43	365.13
2	अरुणाचल प्रदेश	1395.29	372.7	1767.99
3	असम	2620.693	410.1514	3030.8444
4	बिहार	522.2007	20.896	543.0968
5	छत्तीसगढ़	285.9316	22.0579	307.9895
6	झारखंड	404.156	323.4	727.556
7	कर्नाटक	2631.7758	169.4912	2801.267
8	केरल	150.3493	71.018	221.3673
9	मध्य प्रदेश	5887.0911	23.41	5910.501
10	महाराष्ट्र	4149.7035	27.0013	4176.7048
11	मिजोरम	356.3032	10.7865	367.0897

क्रम संख्या	राज्य	प्रोजेक्ट टाइगर	प्रोजेक्ट एलीफेंट	कुल PT और E
12	ओडिशा	760.7659	158.8134	919.5792
13	राजस्थान	574.6823	4.7949	579.4772
14	तमिलनाडु	2007.8643	177.0192	2184.8836
15	तेलंगाना	291.682	0	291.682
16	उत्तर प्रदेश	1986.9984	88.1084	2075.1068
17	उत्तराखंड	1656.9779	166.2543	1823.2322
18	पश्चिम बंगाल	396.8251	29.1248	425.9499
	कुल	26429.99	2089.4573	28519.4473
19	हरियाणा		31.2	31.2
20	हिमाचल प्रदेश		40.572	40.572
21	मणिपुर		29.25	29.25
22	मेघालय		59.4	59.4
23	नागालैंड		305.442	305.442
24	त्रिपुरा		14.6887	14.6887
	कुल	0	480.5527	480.5527
	कुल योग	26429.99	2570.01	29000

बजट विवरण: प्रोजेक्ट टाइगर योजना (2024-25)

क्र. सं.	बजट मद	(बजट अनुमान) 2024-25	आरई / एफई 2024-25	व्यय	व्यय प्रतिशत (करोड़ रुपये में)
	प्रोजेक्ट टाइगर योजना				
1	3601.06.101.02.05.31 (राज्य सरकारों को सहायता)	210	210	210	100%
2	3601.06.796.02.05.31 (राज्य सरकारों को सहायता) जनजातीय उप-योजना (TSP), सहायता अनुदान सामान्य	25	25	25	100%
3	3601.06.789.02.05.31 (राज्य सरकारों को सहायता) अनुसूचित जाति उप-योजना (SCSP), सहायता अनुदान सामान्य	25	25	25	100%
4	2552.00.114.06.05.31 (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को सहायता) सहायता अनुदान सामान्य	30	30	30	100%
	कुल (PT)	290	290	290	

बजट विवरण: प्रोजेक्ट टाइगर योजना (2024-25)

क्र. सं.	बजट मद	बीई 2024-25	आरई/ एफई 2024-25	व्यय	व्यय प्रतिशत (एफई पर)
5	2406.02.110.17.03	35	आरई 30.86 एफई 29.635	29.6	99.88%
	कुल (सामान्य + वेतन)	35	29.635	29.6	
	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (विस्तृत मद)				
a.	17.03.31 सहायता अनुदान सामान्य	33.25	आरई 29.11 *(एफई रुपये 29.11)	29.11	100%
b.	17.03.36 सहायता अनुदान वेतन	1.75	आरई 1.75 *(एफई रुपये. 0.525)	0.49	93.33%
	कुल (Total)	35	29.635	29.6	

*(वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एनटीसीए सामान्य और वेतन हेतु अंतिम अनुमान 29.635 करोड़ रुपये है)

अन्य निधियाँ

क्र. सं.	फंड का विवरण	2024-25 के दौरान प्राप्त फंड (करोड़ रुपये में)	2024-25 के दौरान व्यय (करोड़ रुपये में)	फंड उपयोग का प्रतिशत (%)
1	कैम्पा	26.2	10.6646	40.70%
2	स्वच्छ भारत योजना	2.89	2.89	100%
3	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि	वर्ष 24-25 के दौरान प्राप्त निधि: 10.00 रुपये पिछले वर्ष का शेष: 5.3668 रुपये कुल = (10.00 + 4.79) = 14.79 रुपये	14.79	96.24%
4	अन्य योगदान	0.11		

1. तुलन पत्र (Balance Sheet) - 31.03.2025 तक
(सभी राशियाँ रुपये में हैं)

विवरण (देयताएं और संपत्तियां)	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजी निधि और देयताएं			
कॉर्पस/पूंजी निधि	1	296,060,518.56	143,673,508.56
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	13,139,745.67	58,800,920.83
कुल		309,200,264.23	202,474,429.39
संपत्तियां			
अचल संपत्तियां	8	28,886,505.00	30,352,020.00
वर्तमान संपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	280,313,759.23	172,122,409.39
कुल		309,200,264.23	202,474,429.39

2. आय एवं व्यय खाता - वर्ष समाप्ति 31.3.2025
(सभी राशियाँ रुपये में हैं)

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय (INCOME)			
अनुदान/सब्सिडी (Grants/Subsidies)	13	588,350,000.10	249,625,000.00
अर्जित ब्याज (Interest Earned)	17	4,243,584.00	2,906,792.00
अन्य आय	18	10,200.00	360,739.00
कुल आय (A)		592,603,784.10	252,892,531.00
व्यय (EXPENDITURE)			
स्थापना व्यय (Establishment Expenses)	20	26,161,564.00	27,382,495.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	24,361,876.10	56,731,466.70
अनुदान और सब्सिडी पर व्यय	22	380,902,214.00	151,183,690.00
मूल्यहास (Depreciation)	8	4,447,536.00	4,349,529.00
कुल व्यय (B)		440,216,774.10	242,653,972.70
व्यय पर आय की अधिकता (A-B)		152,387,010.00	10,238,558.30

प्राप्तियाँ (Receipts)	वर्तमान वर्ष (Current Year)	पिछला वर्ष (Previous Year)	भुगतान (Payments)	वर्तमान वर्ष (Current Year)	पिछला वर्ष (Previous Year)
I. नकद और बैंक शेष			I. स्थापना और प्रशासनिक व्यय		
(a) इम्प्रेस्ट (Imprest)	150,000.00	150,000.00	(a) स्थापना व्यय (स्थापना के समय बकाया सहित)	1,165,092.00	1,344,947.00
(b) बचत खातों में शेष	166,030,139.39	210,359,742.54	(b) प्रशासनिक व्यय (वर्ष की शुरुआत में बकाया सहित)	19,135,052.1	48,391,780.47
II. प्राप्त अनुदान			(c) संस्थानों/संगठनों को सहायता अनुदान	380,902,214	151,183,690.00
(a) भारत सरकार से	585,160,817.00	248,698,846.00	ऑडिट शुल्क का भुगतान	100,000.00	200,000.00
(b) अन्य स्रोतों से (CSR एवं योगदान)	105,103,404.00	138,879,379.00	II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए भुगतान		
III. निवेश पर आय	-	-	(ii) प्रशिक्षण, कार्यशाला और सम्मेलन	2,416,512.00	7,236,089.00

III. निवेश पर आय	-	-	(ii) प्रशिक्षण, कार्यशाला और सम्मेलन	2,416,512.00	7,236,089.00
IV. प्राप्त ब्याज	-	2	VI. भारत सरकार को प्रेषित (ब्याज)	4,370,548.00	2,513,081.00
V. बैंक रिफंड/ पुराने सामान की बिक्री	-	360,739.00	VII. अन्य भुगतान		
VII. अन्य प्राप्तियाँ			(d) नकद या मूल्य में वसूली योग्य राशि	543,800.00	12,539,319.00
(d) TDS/ रिकवरी/स्टाफ कार रिकवरी	1,041,588.00	-	(i) संपत्ति/पुराने सामान की बिक्री की आय का प्रेषण	-	321,000.00
			(j) CSR फंड जारी करना/ व्यय	147,905,634.02	192,741,273.45
			VIII. अंतिम शेष (Closing Balances)		
			(a) हाथ में नकद (Cash in Hand)	25,000.00	25,000.00
			(b) बैंक शेष (बचत खाते)	277,077,146.23	166,030,139.39
कुल (TOTAL)	861,764,732.39	611,991,411.31	कुल (TOTAL)	861,764,732.39	611,991,411.31

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
31.03.2025 तक तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 – कोष/पूंजी निधि
(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष (Current Year)	पिछला वर्ष (Previous Year)
वर्ष की शुरुआत में शेष (Balance as at the beginning of the year)	143,673,508.56	133,433,050.26
जोड़ें/(घटाएं): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित शुद्ध आय (Expenditure) का शेष	152,387,010.00	10,240,458.30
वर्ष के अंत में शेष (BALANCE AS AT THE YEAR-END)	296,060,518.56	143,673,508.56

अनुसूची 2 – भंडार और अधिशेष
(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. पूंजीगत आरक्षित (Capital Reserve):		
पिछले खाते के अनुसार / वर्ष के दौरान वृद्धि / वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित (Revaluation Reserve):		
पिछले खाते के अनुसार / वर्ष के दौरान वृद्धि / वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. विशेष आरक्षित (Special Reserves):		
पिछले खाते के अनुसार / वर्ष के दौरान वृद्धि / वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. सामान्य आरक्षित (General Reserves):		
पिछले खाते के अनुसार / वर्ष के दौरान वृद्धि / वर्ष के दौरान कटौती	-	-
कुल (TOTAL)	-	-

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
31.03.2025 तक तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 3 – निर्धारित/न्यास निधियाँ
(राशि रुपये में)

यह अनुसूची फंड-वार विवरण (जैसे फंड WW, XX, YY, ZZ) दर्शाती है, लेकिन वर्तमान में इसमें कोई डेटा प्रविष्ट नहीं है (सभी शून्य हैं)।

विवरण	फंड-वार विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
A) निधियों का प्रारंभिक शेष	-	-	-
B) निधियों में वृद्धि (Additions):			
i) दान/अनुदान (Donations/Grant)	-	-	-
ii) फंड की राशि पर निवेश से आय	-	-	-
iii) अन्य वृद्धि (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-	-
कुल (A + B)	-	-	-
C) फंड के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय:			
i) पूंजीगत व्यय (Capital)	-	-	-
ii) राजस्व व्यय (वेतन, किराया, प्रशासनिक व्यय)	-	-	-
कुल उपयोग (C)	-	-	-
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (A + B - C)	-	-	-

**अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधार
(राशि रुपये में)**

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केंद्र सरकार (Central Government)	-	-
2. राज्य सरकार (State Government)	-	-
3. वित्तीय संस्थान (Term loans/Interest)	-	-
4. बैंक (Term loans/Other loans)	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (TOTAL)	-	-

**अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधार
(राशि रुपये में)**

विवरण	वर्तमान वर्ष (Current Year)	पिछला वर्ष (Previous Year)
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक: (a) टर्म लोन (b) अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
7. सावधि जमा (Fixed Deposits)	-	-
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (TOTAL)	-	-

अनुसूची 6 – स्थगित ऋण देयताएँ
(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
a) पूंजीगत उपकरणों और अन्य संपत्तियों के दृष्टिबंधक (Hypothecation) द्वारा सुरक्षित स्वीकृति	-	-
b) अन्य	-	-
कुल (TOTAL)	-	-

अनुसूची 7 - वर्तमान देयताएं और प्रावधान
31.03.2025 तक की स्थिति (राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
A. वर्तमान देयताएं (Current Liabilities):		
बिना खर्च किया गया अनुदान (मंत्रालय को वापस योग्य)	404,672.96	2,089,183.10
मंत्रालय को देय ब्याज	463,813.00	590,777.00
देय वेतन और मजदूरी	1,598,434.00	1,822,362.00
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड	9,766,719.71	53,733,149.73
B. प्रावधान (Provisions):		
वैधानिक ऑडिट शुल्क (Statutory Audit Fee)	100,000.00	100,000.00
कुल योग (A + B)	13,139,745.67	58,800,920.83

अनुसूची 8 – स्थायी संपत्तियाँ
(सभी राशियाँ रुपये में हैं)

यह तालिका संस्था की संपत्तियों के मूल्य और उन पर लगने वाले मूल्यहास (Depreciation) को दर्शाती है:

संपत्ति का विवरण	वर्ष के प्रारंभ में लागत (Gross Block)	वर्ष के दौरान वृद्धि (Additions)	वर्ष के अंत में शुद्ध मूल्य (Net Block)	मूल्यहास दर (%)
मूर्त संपत्तियाँ (Tangible Assets):				
भवन (Building)	12,288,735	-	11,059,861	10%
फर्नीचर और फिक्स्चर	2,217,547	13,850	2,008,949	10%
वाहन (Vehicle)	4,669,074	-	3,968,713	15%
मोबाइल और पोर्टेबल उपकरण	106,745	-	90,733	15%
कार्यालय उपकरण (Office)	1,789,094	320,031	1,815,560	15%
निगरानी प्रणाली (Surveillance)	5,316,258	-	4,518,819	15%
कंप्यूटर/पेरिफेरल्स	720,557	2,626,340	2,444,967	40%
पुस्तकालय की पुस्तकें	3,568	-	2,141	40%
वैज्ञानिक/तकनीकी उपकरण	36,580	-	31,093	15%
अमूर्त संपत्तियाँ (Intangible)				
वेबसाइट (Website)	1,085,192	-	813,894	25%
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	23,881	21,800	36,986	25%
कुल (TOTAL)	28,257,231	2,982,021	26,791,716	
सॉफ्टवेयर (विकास के तहत)	2,094,789	-	2,094,789	0%
कुल योग (Current Year)	30,352,020	2,982,021	28,886,505	

अनुसूची 9 – निर्धारित/न्यास निधियों से निवेश
(सभी राशियाँ रुपये में हैं)

निवेश का विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर (Shares)	-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (TOTAL)	-	-

अनुसूची 10 – अन्य निवेश
(सभी राशियाँ रुपये में हैं)

विवरण	वर्तमान वर्ष (Current Year)	पिछला वर्ष (Previous Year)
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर (Shares)	-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड	-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (TOTAL)	-	-

**अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि
(सभी राशियाँ रुपये में हैं)**

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
B. ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्तियाँ:		
1. ऋण (Loans):	-	-
2. अग्रिम और अन्य राशियाँ (नकद या वस्तु के रूप में वसूलने योग्य):		
(a) पूंजीगत खाते पर (On Capital Account)	-	-
(b) पूर्व भुगतान (Prepayments)	-	-
(c) अन्य (अग्रिम बैठक, इवेंट, TADA आदि)	1,627,484.00	4,625,208.00
(d) सुरक्षा जमा (Security Deposit)	62,584.00	62,584.00
(e) स्रोत पर कर कटौती (TDS)	538,920.00	538,920.00
3. उपार्जित आय (Income Accrued):	-	-
4. प्राप्त करने योग्य दावे (Claims Receivable - MEA)	-	-
कुल (B)	2,228,988.00	5,226,712.00
कुल योग (A + B)	280,313,759.23	172,122,409.39

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियाँ
(सभी राशियाँ रुपये में हैं)

विवरण	वर्तमान वर्ष (Current Year)	पिछला वर्ष (Previous Year)
1. स्टॉक (Inventories):		
(a) स्टोर और स्पेयर (उपभोग्य सामग्री/डाक टिकट)	832,625.00	690,558.00
2. विविध देनदार (Sundry Debtors):	-	-
3. हाथ में नकद (Cash balances in hand):		
इम्प्रेस्ट (Imprest)	175,000.00	175,000.00
4. बैंक शेष (Bank Balances):		
अनुसूचित बैंकों के साथ बचत खाते	277,077,146.23	166,030,139.39
कुल योग (A)	278,084,771.23	166,895,697.39

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय
(राशि रुपये में)

आय का स्रोत	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय:		
स्कैप की बिक्री (Sale of Scraps)	10,200.00	321,000.00
2. सेवाओं से आय:	-	-
कुल (TOTAL)	10,200.00	321,000.00

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ****अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी****(प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान एवं सब्सिडी) (राशि रुपये में)**

विवरण	वर्तमान वर्ष (Current Year)	पिछला वर्ष (Previous Year)
1. केंद्र सरकार (Central Government)	587,250,000.10	249,625,000.00
2. राज्य सरकार (State Government)	-	-
3. सरकारी एजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (विशिष्ट योगदान/Contribution)	1,100,000.00	-
कुल (TOTAL)	588,350,000.10	249,625,000.00

अनुसूची 14 – शुल्क/सदस्यता**राशि रुपये में)**

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क (Entrance Fees)	-	-
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता	-	-
3. सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क (Consultancy Fees)	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (TOTAL)	-	-

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 15 – निवेश से आय

(चिन्हित/बंदोबस्ती निधि से निवेश पर आय निधि में स्थानांतरित) (राशि रुपये में)

निवेश से आय	चिन्हित निधि से निवेश (Current Year)	अन्य निवेश (Current Year)	पिछला वर्ष (Previous Year)
1. ब्याज (Interest):			
a) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-
b) अन्य बॉन्ड/डिबेंचर पर	-	-	-
2. लाभांश (Dividends):			
a) शेयरों पर	-	-	-
b) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-
3. किराया (Rents)	-	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-
कुल (TOTAL)	-	-	-
चिन्हित/बंदोबस्ती निधि में स्थानांतरित	-	-	-

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष (Current Year)	पिछला वर्ष (Previous Year)
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशनों से आय	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (TOTAL)	-	-

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष (Current Year)	पिछला वर्ष (Previous Year)
1. सावधि जमा (Term Deposit) पर:		
a) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
b) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
c) संस्थानों के साथ	-	-
d) अन्य	-	-
2. बचत खातों (Saving Accounts) पर:		
a) अनुसूचित बैंकों के साथ	4,243,584.00	2,906,792.00
b) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
c) पोस्ट ऑफिस बचत खातों के साथ	-	-
d) अन्य	-	-
3. ऋण (Loans) पर:		
a) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
b) अन्य	-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल (TOTAL)	4,243,584.00	2,906,792.00

नोट: स्रोत पर कर कटौती (TDS) - शून्य (NIL).

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष (Current Year)	पिछला वर्ष (Previous Year)
1. संपत्तियों की बिक्री/निस्तारण पर लाभ:		
a) अपनी संपत्तियाँ (Owned Assets)	10,200.00	321,000.00
b) अनुदान से प्राप्त या मुफ्त प्राप्त संपत्तियाँ	-	-
2. प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन (Export Incentives)	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय/अन्य प्राप्तियाँ	-	39,739.00
कुल (TOTAL)	10,200.00	360,739.00

अनुसूची 19 – तैयार माल और प्रगति पर कार्य के स्टॉक में वृद्धि/कमी

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
A) अंतिम स्टॉक (Closing Stock):		
- तैयार माल (Finished Goods)	-	-
- कार्य-प्रगति (Work In Progress)	-	-
B) घटाएं: प्रारंभिक स्टॉक (Less Opening Stock):		
- तैयार माल	-	-
- कार्य-प्रगति	-	-
शुद्ध वृद्धि/(कमी) [A-B]	-	-

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ****अनुसूची 20 – स्थापना व्यय****(राशि रुपये में)**

विवरण	वर्तमान वर्ष (Current Year)	पिछला वर्ष (Previous Year)
a) वेतन और मजदूरी (Salaries and Wages)	22,688,434.00	24,980,637.00
b) भत्ते और बोनस/अनुग्रह भुगतान	3,200,000.00	1,826,000.00
c) भविष्य निधि में योगदान (Provident Fund)	-	-
d) अन्य फंड में योगदान	-	-
e) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
f) सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभों पर व्यय	-	156,375.00
g) अन्य (निर्दिष्ट करें):		
- एलटीसी व्यय (LTC Expenses)	46,152.00	277,092.00
- वैधानिक ऑडिट शुल्क (Statutory Audit Fee)	-	-
- प्रतिपूर्ति (चिकित्सा, समाचार पत्र, ब्रीफकेस, टेलीफोन शुल्क आदि)	226,978.00	142,391.00
कुल योग (TOTAL)	26,161,564.00	27,382,495.00

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ****अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय****यह अनुसूची संस्था के दैनिक संचालन पर होने वाले खर्चों को दर्शाती है: (राशि रुपये में)**

व्यय का विवरण	वर्तमान वर्ष (Current Year)	पिछला वर्ष (Previous Year)
a) वाहन संचालन व्यय (Vehicles Running Exp)	333,014.00	347,221.00
b) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	218,715.00	117,370.00
c) यात्रा व्यय (Domestic Travelling)	4,775,022.00	7,587,797.00
d) यात्रा व्यय (Foreign Travelling)	1,775,089.14	4,117,588.00
e) कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	2,988,730.00	1,810,752.00
f) आतिथ्य व्यय (Hospitality Expenses)	258,126.00	292,444.00
g) बिजली और पानी शुल्क	271,931.00	272,189.00
h) छपाई और स्टेशनरी (Printing & Stationery)	291,755.00	1,334,302.00
i) ऑडिट शुल्क (Audit Fee)	99,300.00	414,044.00
j) अन्य कार्यालय व्यय	7,125,863.00	21,759,425.00
k) किराया (Rent)	1,051,669.00	1,228,788.00
l) प्रशिक्षण, कार्यशाला और सम्मेलन	4,479,768.00	7,236,089.00
कुल योग (TOTAL)	24,361,876.10	56,731,466.70

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 22 – अनुदान/सब्सिडी आदि पर व्यय

(संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान) (राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
a) संस्थाओं को दिया गया अनुदान:		
(i) सामान्य अनुदान (NTCA)	195,355,961.00	22,048,130.00
(ii) CAMPA से प्राप्त अनुदान सहायता	106,646,253.00	93,135,560.00
(iii) स्वच्छ भारत योजना के तहत सहायता	28,900,000.00	27,000,000.00
(iv) IBCA (इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस) के तहत	50,000,000.00	9,000,000.00
कुल योग (TOTAL)	380,902,214.00	151,183,690.00

अनुसूची 23 – ब्याज

(राशि रुपये में)

विवरण	वर्तमान वर्ष (Current Year)	पिछला वर्ष (Previous Year)
a. सावधि ऋण पर (On Fixed Loans)	-	-
b. अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-
c. अन्य (सरकारी खजाने में प्रेषित ब्याज)	4,243,584.00	2,906,792.00
कुल योग (Total)	4,243,584.00	2,906,792.00

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार (Basis of Accounting):

वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीतियों (Accounting Policies) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. अचल संपत्तियां (Fixed Assets):

अचल संपत्तियों को उनके अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया गया है, जिसमें आवक भाड़ा शुल्क (Inward Freight Duties), कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं, जिनमें से संचित मूल्यहास (Accumulated Depreciation) घटाया गया है।

गैर-मौद्रिक अनुदान (कॉर्पस फंड के अलावा) के माध्यम से प्राप्त अचल संपत्तियों को घोषित मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है, और उसका संबंधित क्रेडिट पूंजी आरक्षित (Capital Reserve) में जमा किया जाता है।

3. मूल्यहास (Depreciation):

अचल संपत्तियों पर मूल्यहास (Depreciation) आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर 'लिखित मूल्य पद्धति' (Written Down Value Method) के अनुसार प्रदान किया जाता है।

सितंबर के बाद अधिग्रहित की गई संपत्तियों पर उस संपत्ति के लिए निर्धारित मूल्यहास दर की आधी दर से मूल्यहास लगाया गया है।

4. सरकारी अनुदान (Government Grant):

सरकारी अनुदानों का लेखा-जोखा प्राप्ति के आधार (Realization Basis) पर किया जाता है।

5. सामान्य (General):

जिन लेखांकन नीतियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, वे अन्यथा संगत (Inconsonance) हैं।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

अनुसूची 25 – आकस्मिक देनदारियाँ और खातों पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देनदारियाँ (Contingent Liabilities):

संस्था के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है - शून्य (NIL) (पिछले वर्ष भी शून्य था)।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ (Capital Commitments):

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों का अनुमानित मूल्य जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों को घटाकर) - शून्य (NIL) (पिछले वर्ष भी शून्य था)।

3. चालू संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (Current Assets, Loans and Advances):

प्रबंधन की राय में, चालू संपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूली पर कम से कम उतना ही है, जितना कि बैलेंस शीट (तुलन पत्र) में दिखाया गया है।

4. अनुसूची 1 से 25 तक:

संलग्न अनुसूची 1 से 25 तक, 31 मार्च, 2025 की बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय खाते का अभिन्न अंग हैं।

5. जमा पर ब्याज आय:

जमा पर ब्याज आय को उपार्जन आधार (Accrued basis) पर, कुल राशि (Gross figures) पर मान्यता दी गई है, और स्रोत पर कर कटौती (TDS) को अलग से दर्शाया गया है।



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, ए.जी.सी.आर. भवन,
आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
Office of the Director General of Audit, Central Expenditure
Environment & Scientific Departments
AGCR Building, IP Estate, New Delhi-110002



सं: म.नि.के व्यय/वै.वि./प.ले./एस.ए.आर./NTCA/2024-25/PR-190869/335

दिनांक: 6/10/2025

सेवा में,

एडीजीएफ (प्रोजेक्ट टाइगर) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए),
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)
बी-1 विंग, सातवीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली- 110003

विषय: 2024-25 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
(NTCA), नई दिल्ली के वार्षिक खातों पर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (Draft SAR)।

महोदय,

मुझे वर्ष 2024-25 के लिए " राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) " की ड्राफ्ट पृथक
लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

आपसे अनुरोध है की इस रिपोर्ट में सम्मिलित तथ्यों और आंकड़ों की कृपया पुष्टि करें
तथा यदि कोई टिप्पणी हो तो उसे इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से **दो सप्ताह** के भीतर इस
कार्यालय को प्रेषित करें , जिससे की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने से पूर्व उन पर उचित
रूप से विचार किया जा सके तथा उन्हें सम्मिलित किया जा सके।

भवदीया,

संलग्नक: यथोपरि


6/10/25

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (पर्यावरण अनुभाग)

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के वित्तीय वर्ष 2024-25 के खातों पर ड्राफ्ट पृथक ऑडिट रिपोर्ट

A. तुलन पत्र (Balance Sheet)

1. देयताएं (Liability)

1.1. वर्तमान देयताएं और प्रावधान:

₹4,04,672 की खर्च न की गई सहायता अनुदान (Unspent Grant in Aid) मंत्रालय को वापस नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं और खर्चों को वास्तविकता से अधिक (overstatement) दिखाया गया है।

1.2 मंत्रालय को वापस किया जाने वाला बैंक ब्याज:

31.03.2025 तक बैंक खाते में जमा किया गया ₹4,63,813 का ब्याज (जो सहायता अनुदान पर था) मंत्रालय को वापस नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, 'आय एवं व्यय खाते' में वर्तमान देयताओं और ब्याज आय को वास्तविकता से अधिक दर्ज किया गया है।

1.3 वर्तमान देयताएं और प्रावधान - अनुसूची 7 (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व - CSR):

CSR फंड का प्रारंभिक शेष ₹5,37,33,149.73 दर्शाया गया था, जबकि बैंक समाधान विवरण (bank reconciliation statement) के अनुसार यह ₹5,36,68,949.73 था। इसमें ₹64,200 का अंतर है। यह भी देखा गया कि 01.01.2024 से 01.03.2024 तक का ₹5,87,047 का अर्जित ब्याज वित्तीय वर्ष 2025-26 के शेष में शामिल किया गया था। NTCA ब्याज का लेखा-जोखा 'उपार्जन आधार' (accrual basis) के बजाय 'नकद आधार' (cash basis) पर कर रहा है। इसके कारण वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए CSR राशि कम दिखाई गई है और 2025-26 के लिए इसे बढ़ाकर दिखाया गया है।

1.4 अन्य भुगतान - CSR फंड जारी करना/व्यय: ₹14,79,05,634.02

वर्ष के दौरान IOCL से CSR योगदान के रूप में ₹1000 लाख (10 करोड़) प्राप्त हुए थे। ऑडिट के दौरान यह पाया गया कि मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी, श्योपुर (IOCL) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कृनो वन्यजीव प्रभाग, श्योपुर के तहत खर्च किए और NTCA को उपयोग प्रमाण पत्र (UCs) प्रस्तुत किए। यह देखा गया कि ₹535 लाख, ₹325 लाख, ₹140 लाख और ₹1000 लाख (कुल ₹2000 लाख) के चार उपयोग प्रमाण पत्र (UCs) प्राप्त हुए थे, जबकि वर्ष के दौरान केवल ₹1479 लाख का भुगतान किया गया था। उपयोग प्रमाण पत्रों (UCs) और संबंधित वास्तविक खर्च के बीच एक बड़ा अंतर (gross mismatch) है, जिसे ऑडिट को सूचित करते हुए समाधान करने की आवश्यकता है।

2. संपत्तियां (Assets)

2.1 अचल संपत्तियां

₹2,141 मूल्य की लाइब्रेरी पुस्तकें 'मूर्त संपत्तियों' (tangible assets) के तहत दर्ज हैं, लेकिन ऑडिट के लिए कोई पुस्तक रजिस्टर या भौतिक सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इस कारण ऑडिट इन पुस्तकों की भौतिक उपस्थिति की पुष्टि करने में असमर्थ रहा।

2.2 ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्तियां

रिकॉर्ड की जांच के दौरान देखा गया कि अनुबंध-1 (Annexure-1) में बताए गए अग्रिम अभी भी NTCA के पास लंबित हैं। ये अग्रिम विक्रेताओं/अधिकारियों से अंतिम बिल प्राप्त न होने के कारण 1 से 3 वर्षों से लंबित पड़े हैं। अंतिम बिलों के अभाव में, ऑडिट वास्तविक खर्च की पुष्टि करने में असमर्थ है। आवश्यक कार्रवाई के बाद इन्हें तुरंत निपटाने की आवश्यकता है।

2.3 वर्तमान संपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11)

₹5,38,930 की राशि 'स्रोत पर कर कटौती' (TDS) वसूली योग्य के रूप में दिखाई गई है। यह राशि पिछले वर्षों में 2018-19 तक सावधि जमा (FD) पर काटी गई थी। आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के तहत, एक वैधानिक निकाय को आयकर के भुगतान से छूट प्राप्त है। ऑडिट द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर NTCA ने रिफंड के लिए आयकर रिटर्न दाखिल किया है, लेकिन रिफंड प्राप्त करने के लिए आयकर विभाग के साथ कोई ठोस कार्रवाई रिकॉर्ड में नहीं मिली।

2.4 'द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंच' के भंडार और डाक टिकटों का गलत विवरण

₹8,32,625 की उपभोग्य वस्तुओं (stores and spares) में वर्ष 2024-25 के लिए ₹4,74,800 के डाक टिकट शामिल हैं। हालांकि, इन डाक टिकटों को स्टोर के बजाय 'नकद एवं नकद समकक्ष' में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप स्टोर का मूल्य ₹4,74,800 अधिक और नकद शेष इतना ही कम दिखाया गया है।

B. आय और व्यय खाता (Income & Expenditure Account)

1. अनुदान/योगदान

"चित्रकाया" पुस्तक के प्रकाशन के लिए डॉ. एस.पी. यादव और श्री सी.पी. गोयल से ₹11 लाख का योगदान प्राप्त हुआ था। इसे सामान्य अनुदान मानकर NTCA की आय में दिखाया गया है। चूंकि यह एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए था और अभी तक खर्च नहीं हुआ है, इसे 'वर्तमान देयता' (Current Liability) में दिखाया जाना चाहिए था। इसके कारण आय ₹11 लाख अधिक और देयता ₹11 लाख कम दिखाई गई है।

2. लेखांकन मानक-15 (कर्मचारी लाभ) का उल्लंघन

ऑडिट में पाया गया कि सहायक वन महानिरीक्षक (AIGF) के पदों पर नियुक्त अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों (ग्रेच्युटी, पेंशन आदि) का प्रावधान AS-15 के अनुसार नहीं किया गया है।

3. पूर्व अवधि के व्यय (Prior Period Expenses)

रिकॉर्ड की जांच में पाया गया कि ₹93,036 की राशि, जो पिछले समय की थी, उसे गलत तरीके से वर्तमान वर्ष 2025-26 के खर्चों में डाल दिया गया है। (अनुलग्नक II)

C. प्राप्ति और भुगतान (Receipts & Payments)

प्राप्ति और भुगतान खाता जांचा गया और सही पाया गया।

D. लेखांकन नीति (Accounting Policy)

-

E. सामान्य (General)

1. उपयोग प्रमाण पत्रों (UCs) की निगरानी:

GFR 2017 का नियम 238 निर्धारित करता है कि प्राप्त अनुदान के वास्तविक उपयोग का प्रमाण पत्र (Form GFR 12-A) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि 19 मामलों में कुल ₹656.08 लाख के उपयोग प्रमाण पत्र 31.03.2025 तक लंबित थे, जो 12 महीने की निर्धारित अवधि से अधिक है। इसके लिए NTCA द्वारा की गई कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।

लंबित UCs का विवरण:

- 2022-23 से पहले: ₹22.27 लाख
- 2022-23: ₹108.81 लाख
- 2023-24: ₹525.00 लाख
- कुल (2023-24 तक): ₹656.08 लाख
- 2024-25: ₹2517.88 लाख

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि एनटीसीए ने 09.04.2025 को मंत्रालय को 2910.91 लाख रुपये की उपयोगिता प्रमाण पत्र (UCs) जारी कर दी, बिना यह सुनिश्चित किए कि जिन संस्थाओं को निधि जारी की गई थी, उनके द्वारा व्यय किया गया है, जबकि 2517.88 लाख रुपये की उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक लंबित पड़ी थीं।

F. प्रबंधन पत्र (Management Letter)

-

G. आंतरिक नियंत्रण का आकलन:

(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली:

पर्याप्त।

(ii) आंतरिक ऑडिट प्रणाली

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक ऑडिट सितंबर और अक्टूबर 2024 में आयोजित किया गया था।

(iii) अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन

अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट ऑडिट को प्रदान नहीं की गई थी।

(iv) भंडार (इन्वेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

भंडार (इन्वेंटरी) का भौतिक सत्यापन किया गया।

(v) भंडार (इन्वेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

कोई विसंगतियाँ नहीं पाई गई।

(vi) संस्था के कार्य संचालन से संबंधित अन्य विषय

-

H. अनुदान सहायता

वर्ष 2024-25 के दौरान, NTCA को कुल ₹58.72 करोड़ सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सामान्य सहायता (GIA-General): ₹29.11 करोड़
- वेतन सहायता (GIA-Salary): ₹0.52 करोड़
- स्वच्छ भारत परियोजना: ₹2.89 करोड़
- कैम्पा (CAMP) फंड: ₹26.20 करोड़

इसके विरुद्ध, NTCA ने कुल ₹43.13 करोड़ खर्च किए, जिसका विवरण इस प्रकार है:

- सामान्य खर्च: ₹29.10 करोड़
- वेतन खर्च: ₹0.48 करोड़
- स्वच्छ भारत खर्च: ₹2.89 करोड़
- कैम्पा खर्च: ₹10.66 करोड़

31 मार्च 2025 तक अनुपयोगी शेष: वेतन मद में ₹3,96,042 और कैम्पा मद में ₹26.46 करोड़ शेष बचे हैं।

अस्वीकरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के खातों पर यह ड्राफ्ट ऑडिट टिप्पणी प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर तैयार की गई है। ऑडिट महानिदेशक कार्यालय, केंद्रीय व्यय (पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग), नई दिल्ली, ऑडिट की गई संस्था की ओर से किसी भी गलत सूचना या जानकारी न देने के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

हस्ताक्षर:

उप निदेशक (पर्यावरण ऑडिट)

अनुलग्नक I

प्राप्ति और भुगतान खाता (Receipts and Payments Account)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपये में)

तिथि	विवरण	प्रयोजन का प्रकार / भुगतान श्रेणी	राशि (₹)
29-सितंबर-21	कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भुगतान। चेक संख्या 316644 दिनांक 29.09.2021 के माध्यम से सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, सीटीआर (CTR) के लिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड के लिए 2 से 8 अक्टूबर, 2021 तक 'इंडिया फॉर टाइगर्स - ए रैली ऑन व्हील्स' कार्यक्रम के आयोजन के भुगतान हेतु किया गया।		100,000.00
20-अप्रैल-23	प्रतिनियुक्ति भत्ते का असमायोजित शेष (30 मई, 2022 से 9 जून, 2022 तक दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की आधिकारिक यात्रा के लिए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को किया गया प्रतिनियुक्ति भत्ता भुगतान)।		63,962.00
06-अगस्त-22	आईटीडीसी- अशोक इवेंट्स (ITDC- Ashok Events) को किया गया भुगतान, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, खाता संख्या 60140760167	भुगतान अग्रिम 2022-23	487,498.00
28-नवंबर-22	अशोका होटल (Ashoka Hotel) को किया गया भुगतान, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, खाता संख्या 60140760167	भुगतान अग्रिम 2022-23	84,000.00
31-मार्च-23	स्मारक सिक्कों के लिए भारत सरकार की टकसाल (Govt. India Mint) को किया गया भुगतान, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, खाता संख्या 60140760167	भुगतान अग्रिम 2022-23	834,180.00
11-मार्च-24	सड़क खर्च (डीजल/मरम्मत) के लिए ड्राइवर अकबर अंसारी को किया गया भुगतान, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, खाता संख्या 60140760167	भुगतान अग्रिम 2023-24	5,000.00
15-दिसंबर-23	अशोका होटल को अग्रिम भुगतान, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, खाता संख्या 60140760167	भुगतान अग्रिम 2023-24	32,844.00
	कुल (Total)		1,607,484.00

अनुलग्नक II

पूर्व अवधि के व्यय का विवरण (Details of Prior Period Expenses)

क्र. सं.	दिनांक	विवरण (Particulars)	राशि (₹)
1	17.05.2024	आधिकारिक यात्रा/दौरे के संदर्भ में टी.ए. (T.A.) दावों के लिए श्री एन.एस. मुरली, IGF (NTCA), क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु को किया गया भुगतान।	20,210
2	17.05.2024	04.03.2024 से 26.03.2024 तक के खर्च के लिए अग्रिम (imprest advance) की भरपाई हेतु श्री एन.एस. मुरली, IGF (NTCA), क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु को किया गया भुगतान।	14,374
3	17.05.2024	01.03.2024 से 31.03.2024 की अवधि के लिए स्टाफ कार वाहनों हेतु डीजल की आपूर्ति के लिए 'कार केयर सेंटर' को किया गया भुगतान।	39,939
4	22.05.2024	18 मार्च, 2024 और 26 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के दौरान हुए खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु डॉ. कौशिक बनर्जी, वैज्ञानिक, एनटीसीए टाइगर सेल को किया गया भुगतान।	18,513
		कुल योग (Total)	93,036/-



**National Tiger Conservation Authority,
Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India**

**B1 Wing, 7th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi 110003**